पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–24] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 13, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–09

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	रु0 3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	235–265	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	43–98	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	225–226	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

गृह अनुभाग–2

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 1411/XX-2/2022-1(21)/2019–राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद–161 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 432 की उपधारा (1) सपठित धारा 433 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर मृत्युदण्ड को छोड़कर अतिरिक्त सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में रिट याचिका (क्रि0) संख्या–155/2021 बच्चे लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.05.2021 के आलोक में अधिसूचना संख्या–183/XX–4/2021–1(21)/2019, दिनांक 09.02.2021 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2021 को अधिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहे वे उत्तराखण्ड राज्य के बाहर किसी अन्य राज्य की कारागार में निरूद्ध हो, को शेष सजा का परिहार प्रदान कर सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थायी नीति बनाते है :–

उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2022

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति हेतु) स्थायी नीति, 2022 होगा।

(2) इसका विस्तार उत्तराखण्ड राज्य अवस्थित न्यायालयों द्वारा दण्डित सिद्धदोष बन्दियों, चाहे वह उत्तराखण्ड राज्य अथवा उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य की कारागारों में निरूद्ध हो, पर होगा, किन्तु यह निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी :–

(क) ऐसे सिद्धदोष बन्दियों पर, जिनके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक मामला लम्बित हो;

(ख) ऐसे बन्दियों पर, जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष है, जिनके लिए सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति किसी विधि में अनुमन्य नहीं है;

(ग) ऐसे बन्दियों पर, जिनकों मा0 न्यायालय द्वारा जीवनपर्यन्त कारागार में निरूद्ध रखे जाने के आदेश दिये गये हैं;

(3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

परिभाषाएं

2 जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नीति में :–

(क) 'मुख्यमंत्री' से उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री अभिप्रेत है;

(ख) 'समिति' से उत्तराखण्ड शासन के गृह विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) 'जिला मजिस्ट्रेट' से बंदी के गृह जनपद/अपराध स्थल के जनपद के जिला मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है;

(घ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) 'महानिरीक्षक कारागार' से कारागार विभाग के विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक कारागार अभिप्रेत है;

(च) 'वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक' से बंदी के गृह जिला/अपराध

स्थल के जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से अभिप्रेत है;

(छ) 'वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक' से सम्बन्धित कारागार के प्रभारी वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक अभिप्रेत है।

सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु समिति का गठन

3 इस स्थायी नीति के अन्तर्गत आजीवन कारावासित सिद्धदोष बन्दियों की समयपूर्व मुक्ति/सजामाफी अथवा सजा में अन्य प्रकार की कटौती के सम्बन्ध में विचार–विमर्श हेतु निम्नवत् समिति गठित होगी :–

1–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2–प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी अथवा उनके द्वारा नमित अपर सचिव, न्याय स्तर से अन्यून अधिकारी	सदस्य
3–प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा नामित कोई अन्य सचिव	सदस्य
4–अपर सचिव, गृह (कारागार), उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
5–महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य सचिव

सजामाफी/ समयपूर्व मुक्ति हेतु विचारणीय पात्रता

4. इस स्थायी नीति के अन्तर्गत सजामाफी/समयपूर्व हेतु प्रस्तर 5 से वर्णित प्रतिबन्धित श्रेणी से अन्यथा, ऐसे सिद्धदोष बंदी पात्र होंगे, जिनके द्वारा :–

(क) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त महिला/पुरूष सिद्धदोष बन्दी, जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 14 वर्ष की अपरिहार तथा 16 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो;

(ख) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बंदी जो निम्न में से किसी बीमारी से ग्रसित हों एवं जिनके संबंध में उत्तराखण्ड जेल मैनुअल के प्रस्तर संख्या–195 में प्रावधानित मेडिकल बोर्ड द्वारा उक्त बीमारी से ग्रसित होने का प्रमाण पत्र दिया गया हो और जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार सजा तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो :–

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis;
2. Incurable malignancy;
3. Incurable Blood diseases;
4. Congestive heart failure;
5. Chronic epilepsy with mental degeneration;
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer;
7. Total blindness of both eyes;
8. Incurable paraplegias and hemiplegics;
9. Advanced Parkinsonism;
10. Brain Tumor;
11. Incurable Aneurysms;
12. Irreversible Kidney failure;
13. Any other critical mortal illness of like nature;

(ग) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 12 वर्ष की अपरिहार तथा 14 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है;

(घ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है विचाराधीन अवधि सहित 10 वर्ष की अपरिहार तथा 12 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी है;

(ङ) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनका अपराध आगे प्रस्तर 5 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी के उप प्रस्तर (vii) एवं (xi) में वर्णित अपराध को छोड़कर अन्य किसी भी प्रस्तर से आच्छादित नहीं है तथा जिनके द्वारा विचाराधीन अवधि सहित 20 वर्ष की अपरिहार तथा 25 वर्ष की सपरिहार सजा व्यतीत कर ली गयी हो।

प्रतिबन्धित श्रेणी

5 (i) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा विशिष्ट समय निर्धारित कर निरूद्धि हेतु आदेशित किया है;

(ii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिनके वाद का अन्वेषण, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अथवा राष्ट्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा या दण्ड प्रकिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण करने के लिये सशक्त किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया था;

(iii) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें ऐसे अपराधों के लिये दोषसिद्ध किया गया है, जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 435 के अधीन उन विषयों से सम्बन्धित हैं जिन पर संघीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और जिसे साथ–साथ भोगे जाने वाली पृथक–पृथक अवधि के कारावास का दण्डादेश दिया गया है, उसके सम्बन्ध में दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण का राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश तभी प्रभावी होगा जब किये गये अपराधों के सम्बन्ध में ऐसे दण्डादेशों के, यथास्थिति, परिहार, निलंबन या लघुकरण का आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा भी कर दिया गया है;

(iv) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हें सामूहिक मानववध (तीन या तीन से अधिक हत्याएं)/हत्याकाण्ड/नरसंहार की घटनाओं से सम्बन्धित अपराधों में दोषसिद्ध किया गया हो;

(v) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो निरूद्धि की अवधि में विगत 02 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–814 के अन्तर्गत चेतावनी से भिन्न किसी भी लघु दण्ड से या विगत 05 वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के प्रस्तर–815 के अन्तर्गत किसी भी वृहद दण्ड से कारागार प्रशासन द्वारा दण्डित किए गये हों;

(vi) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिन्हें दण्डादेश निलम्बन/पैरोल/गृह अवकाश के दौरान किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो;

(vii) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्होने निरूद्धि अवधि के दौरान जेल से पलायन अथवा पुलिस अभिरक्षा से पलायन किया हो;

(viii) ऐसे सिद्धदोष बंदी जिन्हें एक से अधिक अपराधिक प्रकरणों में आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।

(ix) ऐसे सिद्धदोष बंदी जो भारतीय नागरिक नही हैं;

(x) आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जिन्हे निम्न अधिनियमों के तहत दोषसिद्ध किया गया हो :–
–विधि विरूद्ध कियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
–स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का सं0 61)
–स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का सं0 42)
–सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का सं0 52)
–शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923
–विदेशियों विषयक अधिनियम 1946
–विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974
–लैगिंक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012(POCSO ACT 2012)

(xi) ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता, 1960 की धारा 363क (भीख मांगने के प्रयोजनों के लिये अप्राप्तवय का व्यपहण या विकलांगीकरण), 370 (मानव तस्करी–दास के रूप में खरीदना या बेचना), 376क (डरा धमका कर या परिजनों की मृत्यु का भय दिखा कर बलात्कार), 376घ (सामूहिक बलात्कार), 376ड. (दोषसिद्ध द्वारा पुनः बलात्कार का

अपराध), 489ख (कूटरचित करेन्सी की खरीद–फरोख्त) एवं 489घ (करेंसी नोटो या बैंक नोटो कूटरचना आदि) के अन्तर्गत अपराधों के लिए दण्ड) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किये गये हों;

(xii) पेशेवर हत्यारे जो भाड़े पर हत्या करने के दोषी पाये गये हों;

(xiii) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 121 से 130 के अन्तर्गत राज्य के खिलाफ युद्ध करने या युद्ध का प्रयास करने या दुष्प्रेरण करने के दोषी पाये गये हों;

(xiv) आजीवन कारावास की सजा से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बन्दी जो सरकारी सेवक की कर्तव्य पालन के दौरान उसकी हत्या के दोषी हों।

प्रकिया

6 (क) समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी अधीक्षक कारागारों में निरूद्ध आजीवन कारावास से दण्डित ऐसे समस्त सिद्धदोष बंदियों की उपरोक्त प्रस्तर के अन्तर्गत निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार पात्रता का परीक्षण करेंगें एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई पात्र व्यक्ति छूटा नही है तथा पात्र समस्त बन्दियों के सम्बन्ध में संलग्न प्रारूप में उनकी समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड को वर्ष की प्रत्येक तिमाही के प्रथम माह के अन्त तक उपलब्ध करायेगें;

(ख) बंदियों की आयु एवं सजा की गणना वर्ष की प्रत्येक तिमाही की अन्तिम तिथि के अनुसार की जायेगी;

(ग) महानिरीक्षक कारागार द्वारा बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव का उपरोक्त नीति के आलोक में परीक्षण करते हुये जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की आख्या/संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अन्तिम माह तक प्रेषित कर दिया जायेगा तथा शासन द्वारा यथाप्रकिया समिति की त्रैमासिक बैठक प्रस्ताव प्राप्ति से सामान्यतः बीस दिन के अन्दर आहूत की जायेगी :

परन्तु, 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त पुरूष/महिला सिद्धदोष बंदी तथा ऐसे बंदी, जिनके द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष 20 वर्ष की अपरिहार/वास्तविक सजा पूर्ण कर ली गयी हो, के सम्बन्ध में समिति जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की आख्या के बिना भी स्वविवेकानुसार विचार कर सकेगी :

परन्तु, अपरिहार्य परिस्थितियों में 70 वर्ष से कम आयु के बन्दियों, जो इस स्थायी नीति के अनुसार अन्यथा पात्र हों, की सजामाफी के सम्बन्ध में यदि शासन का अभिमत है, तो इस हेतु न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस मुख्यालय के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा, जो जेलों का भ्रमण कर बन्दियों की रिहाई के सम्बन्ध में अपनी आख्या/संस्तुति उपलब्ध करायेगी;

(घ) शासन स्तर पर बंदियों की रिहाई के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त समिति बन्दियों के सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचार–विमर्श करेगी।

(ङ) बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के प्रकरणों पर विचारोपरान्त समिति अपनी संस्तुति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी तथा शासन समिति की संस्तुतियों को मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल को अग्रसारित करेगा।

(च) सिद्धदोष बन्दियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाएगा।

सजामाफी पर बन्दियों को कारागार से रिहा किया

7 राज्यपाल के अनुमोदन/आदेशोपरान्त आजीवन कारावास की सजा से दण्डित सिद्धदोष बंदियों को इस शर्त पर कारागार से मुक्त किया जायेगा कि वह विधि सम्मत आचरण बनाये रखने के लिये रू0 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपनी मुक्ति

जाना		से पूर्व संबंधित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
त्रुटिवश रिहा किये गये बन्दियों को पुनः निरूद्ध किया जाना	8	उपरोक्त आदेशों के अन्तर्गत यदि त्रुटिवश कोई ऐसा बंदी रिहा हो जाता है, जिसका अपराध राज्य सरकार की दृष्टि में ऐसी श्रेणी का है, जिसके लिये न्यायालय द्वारा दी गयी सजा उसे पूर्ण रूप से भुगतना चाहिये, तो राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 161 सपठित अनुच्छेद 367 सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऐसे बंदी की सजा में दी गयी सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के आदेश को निरस्त कर उसे सजा भुगतने के लिए पुनः कारागार में निरूद्ध किये जाने सम्बन्धी नियम अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को आदेशित कर सकेंगे।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.1411/XX-2/2022-1(21)/2019 Dated: November 25, 2022 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

November 25, 2022

No.1411/XX-2/2022-1(21)/2019--In exercise of the powers conferred by under article 161 of the Constitution of India and sub-section(1) of section 432 read with section 433 of the Code of Criminal Procedure, 1973 in relation to sentence pardon/premature release of prisoners convicted with punishment except capital punishment in the light of order passed by the Hon'ble Supreme Court New Delhi on the date of 04-05-2021 writ petition (criminal) no. 155/2021 Bache Lal Vs. State of Uttar Pradesh and Others and In supersession of the Uttarakhand State (for Sentence Pardon/ Premature Release of Convicted Prisoners, Punished with Life Imprisonment by Court) Permanent Policy, 2021 promulgated by the notification no. 183/xx-4/2021-1(21)/2019 date 09-02-2021, the Governor is pleased to make the following permanent policy regarding the sentence pardon/premature release, by providing remission of remaining sentence to convicted prisoner punished with sentence of life imprisonment by the Court of law located in the State of Uttarakhand whether they are detained in Jail of other State outside the State of Uttarakhand-

The Uttarakhand State (For Sentence Pardon/ Premature Release of Convicted Prisoners Punished with Sentence of Imprisonment for Life by the Court) Permanent Policy, 2022

Short title, extent and commencement	1. (1)	This Policy may be called the Uttarakhand (For Sentence Pardon/Premature Release of Convicted Prisoners Punished with Sentence of Imprisonment for Life by the Courts) Permanent Policy, 2022.

(2) It shall extend to all such convicted prisoners, who have been sentenced by the Courts situated within the State of Uttarakhand, whether they are lodged in the prisons across the State of Uttarakhand or any other State outside Uttarakhand but shall not apply to the followings.

(a) On such prisoners, against whom, any other criminal case is pending before any court of law;

(b) On such prisoners, who have been convicted for such offences, for which sentence pardon/premature release is not admissible in law;

(c) On such prisoners, who have been convicted to life imprisonment till death by the Court.

(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this policy, unless there is anything repugnant with respect to the subject (or) context,

(a) **"Chief Minister"**means, the Chief Minister of the Government of Uttarakhand;

(b) **"Committee"** means, a committee constituted under the chairmanship of the Principal Secretary/Secretary of the Home Department of Government of Uttarakhand;

(c) **"District Magistrate"** means the District Magistrate of the Home District of the prisoner/district of Crime Scene.

(d) **"Governor"**means, the Governor of the State of Uttarakhand;

(e) **"Inspector General Prison"** means the Inspector General, who is the head of the Prison Department;

(f) **"Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police"** means the Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police of Home District of the prisoner/district of Crime Scene..

(g) **"Senior Superintendent Jail/Superintendent Jail"** means the In-Charge Senior Superintendent Jail/Superintendent Jail of the concerned prison.

Constitution of committee for consideration regarding the sentence pardon/premature release of

3. Subject to this permanent policy, the following committee shall be constituted for consideration of premature/sentence pardon or any other kind of remission for such prisoners, who have been convicted for imprisonment for life:-

1. Principal Secretary/Secretary, Home (Prison), Government of Uttarakhand - **Chairman.**

convicted prisoners.

2. Principal Secretary/Secretary, Law and Legal Remembrance or any other officer nominated by him not below the rank of Additional Secretary, Law- **Member.**
3. Any other secretary nominated by the Principal Secretary/Secretary, Home Department - **Member.**
4. Additional Secretary, Home (Prisons), Government of Uttarakhand - **Member.**
5. Inspector General Prison, Uttarakhand, Dehradun **Member - Secretary**

Consideration of Eligibility for Premature release/sentence pardon

4. Subject this permanent policy for premature release/sentence pardon, all such prisoners, excluding those mentioned in the prohibited category in para no. 5, shall be eligible, by whom –

(a) All male/female convicted prisoners sentenced to imprisonment for life, who have undergone an actual sentence of 14 years without remission and total sentence of 16 years with remission;

(b) All convicted prisoners undergoing imprisonment for life, who are suffering from the below listed diseases, and who have been provided with the medical certificate by a medical board as provisioned in para no. 195 of the Uttarakhand Jail Manual and have undergone an actual sentence of 10 years without remission and total sentence of 12 years with remission.

1. Advanced bilateral pulmonary tuberculosis;
2. Incurable Malignancy;
3. Incurable Blood Diseases;
4. Congestive heart failure;
5. Chronic epilepsy with mental degeneration;
6. Advanced leprosy with deformities and trophic ulcer;
7. Total blindness of both eyes;
8. Incurable paraplegias and hemiplegics;
9. Advanced Parkinsonism;
10. Brain Tumor;
11. Incurable Aneurysms;
12. Irreversible Kindly Failure;
13. Any other critical mortal illness of like nature;

(c) All convicted prisoners sentenced to imprisonment for life, who have completed the seventy years of age and have undergone an actual sentence of 12 years without remission and a total sentence of 14 years with remission.

(d) All convicted prisoners sentenced to imprisonment for life who have completed the eighty years of age and have been attained and have undergone an actual sentence of 10 years without remission and a total sentence of 12 years with remission.

(e) All convicted prisoners sentenced to imprisonment for life, whose offences are not covered under any other sub-para except offences mentioned in prohibited category sub-para (vii) and (xi) of para no. 5; and who have spent a sentence of 20 years without remission and 25 years with remission.

Prohibited Category

5. (i) All such convicted prisoner punished with imprisonment for life, wherein, the Hon'ble Court, has fixed a specific time period in its judgment for detention in prison.

(ii) All such convicted prisoners punished with imprisonment for life, wherein, the case investigations were conducted by Delhi Special Police Establishment, constituted under the Delhi Special Police Establishment Act, 1947 (Sec. 25 of 1946) or National Investigating Agency or by any other investigating agency competent for investigations of offences under any central act, other than the Code of Criminal Procedure, 1973 (Sec. 02 of 1974).

(iii) Such convicted prisoners, who have been convicted of such "offences" under section 435 of the Code of Criminal Procedure, 1973; those are related to such subjects, to which the executive power of the Union Government extends and to whom, separate sentences of imprisonments have been awarded to be served collectively. Any order to suspend remit or commute the sentences given by State Government shall be only effective, when the order to suspend, remit or commute the sentences of the offence committed, has also been passed by Union Government.

(iv) All such convicted prisoners punished with imprisonment for life, who have been convicted for offences related to collectively homicides/ massacre (three or more than three murders).

(v) All such convicted prisoners punished with imprisonment for life and, who have also been punished by prison administration for any "minor punishment", other than "warning" as provisioned in para no. 814 of the Uttar Pradesh Jail Manual during the period of last 2 years and for any "major punishment" as provisioned in para no. 815 of the Uttar Pradesh Jail Manual in past 5 years.

(vi) Such convicted prisoners punished with imprisonment for life, who have also been convicted for any offence during period of suspension of sentence/ parole/ furlough.

(vii) All such convicted prisoners punished with imprisonment for life, who have escaped from prison or police custody during detention period.

(viii) Such convicted prisoners, who have been punished with sentence of imprisonment for life, in more than one offence.

(ix) Such convicted prisoners, who are not the citizen of India.

(x) All such convicted prisoners, punished with imprisonment for life for offences under the followings Acts-

- Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967,
- Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (Act No. 61 of 1985).
- The Prevention of Illicit trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Act No. 42 of 1988).
- The Customs Act, 1962 (Act no. 52 of 1962).
- The Official Secrecy Act, 1923.
- The Foreigners Act, 1946.
- The Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974.
- The Protection of Children from Sexual offences Act, 2012 (POCSO Act 2012)

(xi) All such convicted prisoners, punished with sentence of imprisonment for life for offences under section 363 A (Kidnapping or maiming a minor for the purpose of begging), 370 (Human Trafficking, selling or purchasing as slaves), 376A (committing rape by imposing criminal intimidation of relatives), 376D (Gang Rape), 376E (Punishment for rape by a rape convict), 489B (sale purchase of forged or counterfeit-currency) and 489D (Counterfeiting of currency notes or bank notes) of Indian Penal Code, 1960.

(xii) Professional killers, found guilty for contract killings.

(xiii) All such convicted prisoners punished with Sentence of imprisonment for life for offences such as waging a war against the state or attempt to wage a war against the state or abetting to wage a war against the Government under sections 121 to 130 of Indian Penal Code, 1960.

(xiv) All such convicted prisoners, punished with Sentence of imprisonment for life for offences for murdering a Government official during discharge of his official duty.

Procedure

6 (a) Al Senior Superintendent/Superintendent/In-Charge Superintendent shall examine the eligibility of all convicted prisoners sentenced with imprisonment for life detained in Prison in accordance with the policy/directions mentioned in the para herein above and shall ensure that no eligible prisoner is left out and shall provide proposal related to all eligible prisoners for premature release to Inspector General, Prisons by the end of the first month of every quarter of every year

(b) Age and sentence of the prisoner shall be calculated as on the last day of every quarter of the year.

(c) Inspector General Prison, while examining the received proposals regarding premature release/sentence pardon in light of said Policy; shall forward the same to the Government with the report/recommendation of the concerned District Magistrate/Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police by the end of the last month of the every quarter and Government shall conduct the quarterly meeting of the constituted committee within 20 days of receiving the proposals

Provided, in respect of all male/female convicted prisoners having more than 70 years of age, and by whom, an actual without remission Sentence of 20 years have been completed as against the sentence of imprisonment for life the committee may consider on its discretion without the report of the District Magistrate/ Senior Superintendent of Police

Provided that, in inevitable circumstances for such prisoners who are below the age of 70 years and are otherwise eligible in accordance with this policy otherwise and if the Government is of opinion for Pardon of Sentence; then a joint committee comprising of the representatives from the Department of Law, Government of Uttarakhand, Department of Home, Government of Uttarakhand and Police Head Quarters shall conduct a visit in prisons and shall submit a detailed report/ recommendations, regarding the release of such prisoners

(d) After receiving proposals regarding the release of Prisoners at Government level, the committee shall consider matters of premature release/ sentence pardon of prisoners.

(e) After considering the matters of premature release/sentence pardon of the prisoners, the committee

		shall forward its recommendations to the State Government and the State Government shall further forward the recommendations of the committee to the Governor through the Chief Minister of the State
		(f) Final decision regarding premature release/sentence pardon shall be taken by the Governor
Releasing of prisoners on sentence pardon from prison	7	After approval/orders of the Governor the convicted prisoners sentenced for imprisonment for life shall be released on a condition that the prisoner, before getting released from the prison shall execute a personal bond before the Senior Supeintendent/ Superintendent of prison, amounting not more than Rs. 50, 000/- (Rupees Fifty Thousand only) so as to maintain law and order in the society
Re-detention of prisoners, released wrongfully from prisons	8	Subject to the above orders, if a prisoner is released wrongfully, whose offence in a view of the State Government is of such category, that he should serve the entire sentence as sentenced by the Court, then the Governor after cancelling the orders of Premature release/Pardon/Remission of sentence of such prisoner as powers Conferred under article 161 read with article 367 of the Constitution of India read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (as applicable in the State of Uttarakhand), may order the Government for Initating further proceeding as per rule regarding detaining him again in Jail for serving the remaining sentence

By Order,

RADHA RATURI,

Additional Chief Secretary

गृह अनुभाग–5

कार्यालय ज्ञाप

28 नवम्बर, 2022 ई०

संख्या 1470/XX-5/2022-03(32)/2022–उत्तराखण्ड राज्य में समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन हेतु मा० न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में "विशेषज्ञ समिति" का गठन करते हुए समिति से यह अपेक्षा की गयी थी कि 06 माह के अन्दर समिति अपनी संस्तुति मा० मुख्यमन्त्री जी को उपलब्ध करायेगी। उक्त विशेषज्ञ समिति के द्वारा अनुरोध किया गया है कि समिति के कार्यकाल में 06 माह की वृद्धि की जानी नितान्त आवश्यक है।

2–सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त "विशेषज्ञ समिति" के कार्यकाल में 06 माह की वृद्धि करते हुए अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी संस्तुति यथाशीघ्र मा० मुख्यमंत्री जी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

राधा रतूड़ी,

अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

30 नवम्बर, 2022 ई०

संख्या I/79806/2022–एतद्द्वारा भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग में पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स में स्तर–13A) के पद पर नियुक्त श्री कृष्ण कुमार वी.के. (IPS RR-2005) को पुलिस महानिरीक्षक (वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14) के पद पर सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 01.12.2022 से पदोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 दिसम्बर, 2022 ई०

संख्या 1586/XXXI(1)/2022/पदो0-01/2020—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री सुरेन्द्र दत्त बेलवाल, को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान–67700–208700 (वेतन लेवल–11) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुरेन्द्र दत्त बेलवाल, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

01 फरवरी, 2023 ई०

संख्या 161/XXXI(1)/2023/पदो0-01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री मनसा राम सेमवाल को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव वेतन लेवल 11 (वेतनमान ₹ 67,700–2,08,700) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री मनसा राम सेमवाल, अनु सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4 श्री मनसा राम सेमवाल, अनु सचिव के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 फरवरी, 2023 ई0

संख्या 162/XXXI(1)/2023/पदो0-01/2021 उत्तराखण्ड सचिवालय सवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती विनीता शिवराज पंवार को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी वेतन लेवल 10 (वेतनमान ₹56,100-1,77,500) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती विनीता शिवराज पवार को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है.

3–उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4–उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती विनीता शिवराज पंवार अनुभाग अधिकारी को गृह अनुभाग–4 में तैनात किया जाता है।

5–श्रीमती विनीता शिवराज पंवार, अनुभाग अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल पदोन्नति के पद तथा तैनाती के अनुभाग में कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,

अपर मुख्य सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

27 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 61/XXIV-B-5/2023/01(01)2022–उत्तराखण्ड लोक पुस्तकालय अधिनियम 2005 की धारा 2(ट)(2) में प्राविधान है कि "लोक पुस्तकालय का तात्पर्य सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुरक्षित पुस्तकालय से है, जिसे लोक पुस्तकालय घोषित किया गया हो"

उपरोक्त प्राविधानों के आलोक में दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर देहरादून जो कि पंजीकृत संस्था है व राज्य सरकार द्वारा अनुदानित है, को लोक पुस्तकालय के रूप में अधिसूचित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

रविनाथ रामन,

सचिव।

राजस्व अनुभाग–1

अधिसूचना

27 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 82/XVIII(1)/2023-02(3)/2022 चूंकि, जनभावनाओं के दृष्टिगत् जिला रूद्रप्रयाग की तहसील रूद्रप्रयाग में स्थित राजस्व राजस्व ग्राम भेड़गांव का नाम परिवर्तन किया जाना आवश्यक है,

और चूंकि, भारत सरकार के पत्र संख्या 130/53–पब्लिक, दिनांक 11 सितम्बर, 1953 में ग्रामों के नाम परिवर्तन के पूर्व प्रस्ताव पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय से पूर्वानुमति लिया जाना अपेक्षित है,

और चूंकि, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–11/11/2022 एम एण्ड जी दिनांक 15 दिसम्बर, 2022 में राजस्व ग्राम "भेड़गांव" का नाम परिवर्तन कर "देवनगर" किये जाने सम्बन्धित अपनी सहमति दी जा चुकी है,

अतएवं अब राज्यपाल, उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या–1 वर्ष 1904) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस आदेश के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से जिला रूद्रप्रयाग की तहसील रूद्रप्रयाग में स्थित राजस्व ग्राम "भेड़गांव" का नाम नीचे दी गयी अनुसूची के अनुसार परिवर्तित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

अनुसूची

क्र0सं0	ग्राम का वर्तमान नाम	परिवर्तन के पश्चात् ग्राम का नाम
1.	भैड़गांव	देवनगर

2– राज्यपाल यह भी निर्देश देते है कि इस आदेश के किसी बात का प्रभाव किसी विधि न्यायालय में जिसमें अब तक उक्त राजस्व ग्राम के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग किया गया है, पहले से प्रारम्भ की गयी या अनिर्णीत किसी विधिक कार्यवाही पर नही पड़ेगा।

आज्ञा से,

सचिन कुर्वे,

सचिव।

In pursuance of the provis on of clause (3) of the article 348 of the Const tution of India, the Governor is pleased to order the pub ication of the fo lowing English translat on of Notificat on No 82/XV. I(1)/2023-02(3)/2022 dated January 27 2023 for genera information.

NOTIFICATION

January 27 2023

No 82/XVIII(1)/2023-02(3)/2022–Whereas, in view of public sentiments t is necessary to change the name of revenue village Bha rgaon of located in Tehsil Rudraprayag of District Rudrapriyag

AND WHEREAS, in the Government of India s letter No 130/53-Public, dated September 11 1953 prior permission is requ red to be obtained from the Ministry of Home Affairs Government of India on the proposal to change the name of vi lages

AND WHEREAS the Ministry of Home Affairs Government of India has given its consent regarding the renaming of revenue village "Bhairgaon" to "Devnagar" in its letter number 11/11/2022 M&G dated 15 December 2022,

Now therefore the Governor, in exercise of the powers conferred by section 21 of the Uttar Pradesh General Causes Act 1904 (Act No. 1 of 1904), from the date of publication of this order in the Gazette the revenue village Bhairgaon situated in Tehsil Rudraprayag of District Rudraprayag is pleased to give approval to change the name of "Devnagar" as per the schedule given below

Schedule

SL. No.	present name of village	village name after the change
1	BHAIRGAON	DEVNAGAR

2- The Governor also directs that nothing in this order shall have effect in any court of law which has hitherto exercised jurisdiction in respect of the said revenue village shall not affect any legal proceedings already initiated of pending

By Order,

SACHIN KURVE

Secretary.

वन अनुभाग–1

विज्ञप्ति/पदोन्नति आदेश

31 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 144/GRN/X-1-2023-04(16)/2022–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–59 दिनांक 26.05.2016 द्वारा चयन वर्ष 2013–14 में राज्य वन सेवा संवर्ग में सहायक वन संरक्षक के प्रोन्नति कोटे में उपलब्ध 04 रिक्तियों के सापेक्ष चयन समिति द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक–8, 9 एवं 10 के कार्मिक क्रमशः श्री भारत भूषण मार्तोलिया श्री अनिल कुमार दम्टा एवं श्री करूणा निधि भारती की सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी तथा ज्येष्ठता क्रमांक–11 के कार्मिक श्री कोमल सिंह की वर्ष 2010–11 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि प्रतिकूल होने तथा उक्त प्रविष्टि के विरूद्ध श्री कोमल सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 12.12.2014 विभाग स्तर पर लम्बित होने तथा कतिपय प्रविष्टियाँ अनुपलब्ध होने के क्रम में चयन वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 01 पद रोकते हुए अनुपलब्ध प्रविष्टियाँ शासन/विभाग से प्राप्त होने के पश्चात श्री कोमल सिंह की उपयुक्तता पर विचार किये जाने का निर्णय लेते हुए तत्क्रम में चयन वर्ष 2013–14 के सापेक्ष 01 पद रिक्त रखा गया। उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के उक्त पत्र दिनांक 26.05.2016 के माध्यम से राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के प्रोन्नति प्रभाग में चयन वर्ष 2014–15 में 03 रिक्तियों के सापेक्ष चयन समिति द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक–12, 13 एवं 14 के कार्मिक क्रमशः श्री कामता प्रसाद वर्मा श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही की पदोन्नति सहायक वन संरक्षक के रिक्त पद के सापेक्ष किये जाने की संस्तुति की गयी। उक्तानुसार प्राप्त संस्तुति के क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या–1218, दिनांक 11.07.2016 के माध्यम से उक्त कार्मिकों की सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये।

2— तत्पश्चात राज्य वन सेवा संवर्ग के सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु उपलब्ध 45 पदों के सापेक्ष 49 सहायक वन संरक्षक कार्यरत होने संबंधी तथ्य शासन के संज्ञान में आने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 3514, दिनांक 18.12.2017 द्वारा 04 सहायक वन संरक्षकों यथा श्री करूणा निधि भारती, श्री कामता प्रसाद वर्मा श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही को वन क्षेत्राधिकारी के पद पर प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया। शासन के उक्त आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या—02/एस0बी0/2018 करूणा निधि भारती बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.01.2018 के माध्यम से उक्त शासनादेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध स्थगनादेश पारित किया गया अतः मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त स्थगनादेश के क्रम में श्री करूणा निधि भारती श्री कामता प्रसाद वर्मा श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत रहे।

3— अग्रेत्तर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र संख्या—56 दिनांक 23.04.2018 के माध्यम से राज्य वन सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के प्रोन्नति प्रभाग में चयन वर्ष 2017—18 में उपलब्ध 06 रिक्तियों के सापेक्ष चयन समिति द्वारा ज्येष्ठता क्रमांक—11 एवं 15 के कार्मिक क्रमशः श्री कोमल सिंह एवं श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव की सहायक वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने की संस्तुति की गयी तथा पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिक श्री करूणा निधि भारती, श्री कामता प्रसाद वर्मा श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही हेतु 04 पदों को मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या—02/एस0बी0/2018 करूणा निधि भारती बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित स्थगनादेश दिनांक 03.01.2018 के अधीन आरक्षित रखा गया, उक्तानुसार प्राप्त संस्तुति के क्रम में शासन की अधिसूचना संख्या -1163, दिनांक 03.05.2018 के माध्यम से श्री कोमल सिंह तथा श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव के पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये

4— मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित उक्त रिट याचिका संख्या—02/एस0बी0/2018 करूणा निधि भारती बनाम उत्तराखण्ड राज्य को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णयादेश दिनांक 22.11.2022 के द्वारा खारिज किये जाने के क्रम में चयन वर्ष 2017-18 में 06 रिक्तियों के सापेक्ष चयन समिति द्वारा पात्रता सूची में सम्मिलित कार्मिक श्री करूणा निधि भारती श्री कामता प्रसाद वर्मा, श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही हेतु आरक्षित रखे गये 04 पदों के सापेक्ष पदोन्नति किये जाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01.11.2022 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में Revised DPC की कार्यवाही की गयी

5— तत्क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा पत्र संख्या—530/13/E 4/DPC/2022—23, दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0—737/कार्मिक—2/2003 दिनांक 11.06.2003 के अनुसार नोशनल पदोन्नति सदैव कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से विचारणीय होने के दृष्टिगत श्री करूणानिधि भारती (ज्येष्ठता क्रमांक -10) को उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री कोमल सिंह (ज्येष्ठता क्रम क—11) की पदोन्नति तिथि से तथा श्री कामता प्रसाद वर्मा (ज्येष्ठता क्रमांक -12) श्री बाबू लाल (ज्येष्ठता क्रमांक 13) तथा श्री महिपाल सिंह सिरोही (ज्येष्ठता क्रमांक 14) को उनसे कनिष्ठ कार्मिक श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव (ज्येष्ठता क्रमांक—15) की पदोन्नति तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने की संस्तुति की गयी है

6— अतएव उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उक्त पत्र दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से की गयी संस्तुति के क्रम में चयन वर्ष 2017-18 में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष श्री करूणा निधि भारती को सहायक वन संरक्षक, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (वेतनमान रु0 56,100-1,77,500) के पद पर अपने कनिष्ठ कार्मिक श्री कोमल सिंह की पदोन्नति की तिथि दिनांक 03.05.2018 तथा श्री कामता प्रसाद वर्मा

श्री बाबू लाल तथा श्री महिपाल सिंह सिराही को सहायक वन संरक्षक वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (वेतनमान रू0 56,100- 1 77 500) के पद पर अपने कनिष्ठ कार्मिक श्री रविन्द्र नाथ श्रीवास्तव की पदोन्नति की तिथि दिनाक 03 05 2018 से नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

7— उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में कार्मिकों के राज्य आवंटन के संबंध में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0- 13916 / 2013 रंगनाथ पाण्डे व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

आज्ञा से,

विजय कुमार यादव,

सचिव।

खेलकूद अनुभाग

विज्ञप्ति / पदोन्नति

27 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 879/VI-3/2022-01(15)/2007—'उ0प्र0 खेलकूद निदेशालय' (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1988 एवं यथा—संशोधित नियमावली, 1998 (उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) के सुसंगत नियमों एवं 'विभागीय पदोन्नति समिति' की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय श्री सुरेश चन्द्र पाण्डे, सहायक निदेशक को तात्कालिक प्रभाव से उप निदेशक, खेल वेतनमान रू. 15600—39100 ग्रेड पे 6600 (वेतन लेवल 11 रू 67700—208700) के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए खेल निदेशालय में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

2- श्री पाण्डे को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 (दो) वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3— उक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

अभिनव कुमार,

विशेष प्रमुख सचिव।

सूचना अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप / प्रोन्नति आदेश

28 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 460/XXII/2022-04(4)2010 सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतन लेवल 8 रू0 47600—151100 में कार्यरत श्री ललिता प्रसाद भट्ट को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निदेशक के पद पर वेतन लेवल—10, रू0 रू0 56100—177500 में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश

29 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 462/XXII/2022-04(4)2010–सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत संयुक्त निदेशक, वेतन लेवल 12, वेतनमान रू0 78800-209200 में कार्यरत श्री आशिष कुमार त्रिपाठी को नियमित चयनोपरान्त दिनांक 31.12.2022 के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निदेशक के पद पर वेतन लेवल 13, वेतनमान रू0 123100–215900 में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कार्यालय ज्ञाप/प्रोन्नति आदेश

29 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 463/XXII/2022-04(4)2010–सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उपनिदेशक, वेतन लेवल–11 रू0 67700–208700 में कार्यरत श्री नितिन उपाध्याय को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निदेशक के पद पर वेतन लेवल–12, रू0 78800–209200 में प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अभिनव कुमार,
विशेष प्रमुख सचिव

पंचायतीराज अनुभाग–2

कार्यालय आदेश

21 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 578/XII(2)/2022-92(02)/2011–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 202/13/E-1/DPC/2022–23, दिनांक 03 अक्टूबर, 2022 के द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में श्री सोहन सिंह कठैत, प्रशासनिक अधिकारी, जिला पंचायत, टिहरी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कार्य अधिकारी वेतनमान रू0 16,600–39,100 ग्रेड वेतन रू0 5400 (लेवल 10) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिक कार्य अधिकारी के पद पर 01 वर्ष की परीवीक्षा में रहेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से

ओमकार सिंह,
अपर सचिव।

कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग–1

पदोन्नति/तैनाती

25 नवम्बर, 2022 ई0

संख्या 78963/ई–35324/XIII-1/2022-17(06)2016 उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र सं0–221/10/डी0पी0सी0/दिनांक 28 सितम्बर, 2022 में प्राप्त संस्तुति एवं उत्तराखण्ड रेशम विकास (अधिकारी वर्ग, "क" एवं "ख") सेवा नियमावली, 2011 के सुसंगत नियमों के क्रम में अधोलिखित अधिकारियों को तात्कालिक प्रभाव से निरीक्षक रेशम से सहायक निदेशक (रेशम) श्रेणी 2 में चयन वर्ष 2021 22 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान रू0 15600 39100 ग्रेड वेतन रू0 5400/पुनरीक्षित वेतनमान 56100 177500 (लेवल–10) में नियमित पदोन्नति करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित पद/स्थान पर तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	नाम	वर्तमान पदनाम/तैनाती स्थल	प्रोन्नति उपरांत पदनाम/तैनाती
1	श्री विनोद तिवारी	निरीक्षक (रेशम), रेशम निदेशालय प्रेमनगर, देहरादून।	सहायक निदेशक (रेशम), मुख्यालय प्रेमनगर देहरादून।
2.	श्री संजय काला	निरीक्षक (रेशम), कार्यालय सहायक निदेशक (रेशम) पछारी–हरिद्वार।	सहायक निदेशक (रेशम), अल्मोड़ा।

2–उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद व नवीन तैनाती स्थान पर तत्काल निदेशक, रेशम, उत्तराखण्ड के कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक, रेशम एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पदोन्नति

29 दिसम्बर, 2022 ई0

संख्या 87216/ई0पत्रा0–39298/XIII-1/2022-1(53)2001–उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा के वनस्पति विज्ञान अनुभाग के अन्तर्गत श्रेणी–2 के प्रोन्नति के रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति हेतु उत्तर प्रदेश, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह 'ख' सेवा नियमावली 1993 के सुसंगत नियमों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सचिवालय चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के प्रासंगिक प्राविधानों के अनुसार लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड हरिद्वार की संस्तुति के आधार पर श्री जगदीश चन्द्र बिष्ट को तात्कालिक प्रभाव से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तराखण्ड के अधीन प्रयोग एवं प्रशिक्षण शाखा के वनस्पति विज्ञान अनुभाग के अन्तर्गत श्रेणी–2 में चयन वर्ष 2022–23 की रिक्ति के सापेक्ष वेतनमान वेतनमान रू0 56100–177500 वेतन लेवल–10 में नियमित पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2–श्री बिष्ट अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत्त हो रहे है।

3. श्री बिष्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे पदोन्नत पद पर तत्काल सम्बंधित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में योगदान कर कार्यभार प्रमाणक निदेशक उद्यान एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

रणवीर सिंह चौहान,
अपर सचिव।

सूचना प्रौद्योगिकी, सुराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 03

अधिसूचना

09 जनवरी, 2023 ई०

संख्या 89295/XXXIV(3)/23-20(02)21 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20 वर्ष 2011) की धारा 03 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा जनसामान्य का नियत समय–सीमा में सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से पूर्व निर्गत अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित सेवाओं के अतिरिक्त, वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं, पदाभिहित अधिकारी के पदनाम, सेवायें प्रदान करने की समय सीमा, प्रथम अपीलीय एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारी के पदनाम को निम्नवत अधिसूचित किया जाता है :—

1. उत्तराखण्ड सरकार के समस्त विभागों/निगमों से सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों से संबंधित सेवाएं:

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	आहरण वितरण अधिकारी	प्रत्येक वर्ष का जून माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
2.	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो का पूरा किया जाना	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 08 माह पूर्व कार्यवाही करने के उपरान्त 01 माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
3	अदेयता प्रमाण–पत्र जारी किया जाना (सेवा अवधि में)	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति होने के ठीक 02 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
4	सेवानिवृत्ति होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र अग्रसारित किया जाना	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के ठीक 08 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
5.	मृत्यु के मामलों में पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	आहरण वितरण अधिकारी	मृत्यु के 30 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना की पूर्ति	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 07 माह पूर्व मृत्यु की दशा में 30 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
7	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति के 05 माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
8.	आपत्तियों का निराकरण	आहरण वितरण अधिकारी	आपत्ति प्राप्त करने के 07 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
9	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप से दिया जाना सम्भव न हो)	स्वीकृता अधिकारी	सेवानिवृत्ति / मृत्यु के 45 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
10.	अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री / विकलांग / मानसिक रूप से विक्षिप्त संतान को पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता	सम्बंधित कार्यालय का आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर पेंशन प्रकरण पेंशन स्वीकृता प्राधिकारी को प्रेषित किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
11	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना तथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि से सम्बन्धित "बीमा योजना" के अन्तर्गत भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	सेवानिवृत्ति की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
12	जीवनकालीन अवशेष वेतन व भत्तों आदि का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
13	सेवानिवृत्त / मृतक सरकारी सेवकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान / अन्तर की धनराशि का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष

क्र० सं०	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
14	सेवानिवृत्त / दिवगत सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा धनराशि का अविलम्ब अंतिम भुगतान / निर्धारित प्रक्रिया का त्वरित अनुपालन (क) जमा धनराशि का 90 प्रतिशत का भुगतान (ख) शेष 10 प्रतिशत का भुगतान	आहरण वितरण अधिकारी	महालेखाकार द्वारा प्रदत्त प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के भीतर भुगतान किया जाना	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
15.	राजकीय पेंशनर्स को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे का भुगतान	स्वीकर्ता अधिकारी	समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त चिकित्सा दावा प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्यदिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
16.	सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के अवशेष देयकों का भुगतान	विभागाध्यक्ष द्वारा नामित प्राधिकारी	आवेदन प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस के अन्दर	कार्यालयाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी (जहाँ पर कार्यालयाध्यक्ष डीडीओ हो)	विभागाध्यक्ष
2. निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड तथा अधीनस्थ जनपद कोषागारों के सेवानिवृत्त होने वाले अथवा सेवानिवृत्त हो चुके कार्मिकों के सेवानिवृत्तिक देयकों से संबंधित सेवाएं :					
1	सेवा निवृत्ति के लाभों के प्रपत्रों के प्राप्त होने तथा परीक्षण के उपरान्त पायी गयी त्रुटियों को निस्तारित करने हेतु सम्बन्धित कार्यालय को अवगत कराना।	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी

क्र0 सं0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी	सेवा हेतु निर्धारित समय–सीमा	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6
2	पेंशन प्राधिकार पत्र जारी किया जाना	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	पूर्ण रूप से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 कार्य दिवस के भीतर	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
3	पेंशन प्राप्तकर्ता को प्रथम बार कोषागार से भुगतान	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्राप्त होने के दिनांक से 03 दिवस के भीतर	मुख्य / वरिष्ठ / उपकोषाधिकारी	निदेशक / जिलाधिकारी
4	सेवानिवृत्त अथवा मृतक सरकारी सेवकों के पेंशनरी लाभों का पुनरीक्षण का प्राधिकार पत्र निर्गत करना	सहायक लेखाधिकारी / सहायक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी	सम्बन्धित विभाग से शुद्ध दावा प्रपत्र प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर पी0पी0ओ0 जारी किया जाना।	कार्यालयाध्यक्ष / अपर निदेशक	निदेशक
		शिविर कार्यालय हल्द्वानी हेतु– सहायक कोषाधिकारी		सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	अपर निदेशक
		सहायक कोषाधिकारी (जनपदीय कोषागार)		मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
5	पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत जीवित प्रमाण–पत्र का सत्यापन	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर उसी कार्य दिवस में।	मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी
06	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान का सत्यापन	सहायक कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी	प्रकरण प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर	मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी	जिलाधिकारी

2 सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत दिन की गणना कार्यदिवस के रूप में की जायेगी।
3. सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत सेवा की तिथि की गणना, पूर्णरूप से, यथावश्यक दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन–पत्र की प्राप्ति के दिवस से मानी जायेगी।
4 उत्तरांचल पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली 2003 पर इसका अध्यारोही प्रभाव होगा
5. उक्त सेवायें तत्काल प्रभाव से प्रभावी मानी जायेंगी।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

श्रम अनुभाग

अधिसूचना

12 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 90702/VIII-1/23-70(श्रम)/2001-II–रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 194/UHC XIII-I-1/Admin-A/2010 दिनांक 10.01.2023 के क्रम में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम–1947 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 वर्ष, 1947) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) के अधीन श्रमिकों के विवादों के निस्तारण करने हेतु उत्तर प्रदेश, श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण अधिकारी (नियुक्ति और नियोजन की शर्तें) नियमावली–1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) एवं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 की धारा–89 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में वादों का निस्तारण करने हेतु निम्नवत तालिका में अंकित न्यायाधीशों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–2 में वर्णित श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रवलित सामान्य शर्तों के अधीन नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	न्यायाधीश का नाम/वर्तमान तैनाती का स्थल	नवीन तैनाती का स्थल
1	श्री राजेन्द्र जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय हरिद्वार
2	श्री धर्म सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश खटीमा जनपद ऊधमसिंहनगर।	पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, काशीपुर जनपद ऊधमसिंहनगर।

आज्ञा से,
रवनीत चीमा,
अपर सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5

अधिसूचना

प्रकीर्ण

25 जनवरी, 2023 ई0

संख्या 62/XXVIII(5)/23-13(सामान्य)/2019–कार्यपरिषद, हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 05, वर्ष 2014) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली, 2020 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :–

हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रथम (संशोधन) विनियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस विनियमावली का संक्षिप्त नाम हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रथम (संशोधन) विनियमावली, 2023 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी

विनियम 4 का संशोधन

2. हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रथम विनियमावली, 2020 (जिसे यहाँ आगे मूल विनियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये विनियम 4 के विद्यमान उपविनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपविनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान उपविनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपविनियम
(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों/कार्मिकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में एक प्रतिनिधि नामित करेंगें ।	(5) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति में विषय विशेषज्ञ के रूप में एक प्रतिनिधि नामनिर्देशित करेंगे।

विनियम 30 का संशोधन

3. मूल विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 30 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	30.	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
		विश्वविद्यालय/संघटक महाविद्यालय के संकाय सदस्यों के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति हेतु चयन समिति निम्नवत् होगी :– (क) कुलपति जो समिति का अध्यक्ष होगा। (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित अकादमिक सदस्य, जहां कहीं प्रयोज्य हो, आचार्य के रैंक से नीचे नहीं होगें। (ग) विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा संबंधित विषय/क्षेत्र में में तीन विषेशज्ञों को नामनिर्देशित किया जाएगा। (घ) संकाय का संकाय अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो (ड) संबंधित विभाग का प्रमुख/अध्यक्ष, जहां कहीं प्रयोज्य हो

(च) यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/निशक्तः श्रेणी से संबंध रखने वाला कोई अभ्यर्थी आवेदक हो और यदि उपरोक्त कोई भी सदस्य इन श्रेणियों से संबंधित नहीं हो तो कुलपति द्वारा इन श्रेणियों से एक शिक्षाविद् को नामनिर्देशित किया जाएगा।

(1) संकाय सदस्यों के अतिरिक्त समूह 'क' श्रेणी के अधिकारियों के लिये चयन/पदोन्नति समिति निम्नवत् होगी –

क.	कुलपति	–	अध्यक्ष
ख.	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित दो अधिकारी	–	सदस्य
ग.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/निशक्तः श्रेणी का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी	–	सदस्य
घ.	कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

(1) समूह 'ख' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये चयन समिति निम्नवत् होगी :–

क.	कुलपति	–	अध्यक्ष
ख.	कुलपति द्वारा नामित कोई एक आमंत्रित सदस्य	–	सदस्य
ग.	कुलपति द्वारा नामित प्रभाग प्रभारी	–	सदस्य
घ.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का एक कुलपति द्वारा नामित अधिकारी	–	सदस्य
ङ.	कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

(2) समूह 'ख' श्रेणी के कर्मचारियों के लिये चयन समिति निम्नवत् होगी :–

क.	कुलपति	–	अध्यक्ष
ख.	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित कोई एक आमंत्रित सदस्य	–	सदस्य
ग.	कुलपति द्वारा नाम निर्देशित प्रभाग प्रभारी	–	सदस्य
घ.	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक अधिकारी	–	सदस्य
ङ.	कुलसचिव	–	सदस्य सचिव

(2) संकाय सदस्यों के अतिरिक्त समूह 'ग' श्रेणी के अधिकारियों के लिये चयन/पदोन्नति समिति निम्नवत होगी:–

क.	कुलपति/कुलपति द्वारा नामित अधिकारी	–	अध्यक्ष

(3) समूह 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अनुसार की जायेगी।

ख.	कुलपति द्वारा नामित कोई एक आमंत्रित सदस्य	—	सदस्य
ग.	कुलपति द्वारा नामित प्रभाग प्रभारी	—	सदस्य
घ.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का एक कुलपति द्वारा नामित अधिकारी	—	सदस्य
ङ.	कुलसचिव	—	सदस्य सचिव

विनियम 32 का संशोधन

4. मूल विनियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान विनियम 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
32. संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती खुले चयन द्वारा संबंधित संवर्ग की सुसंगत सेवा नियमावलियों के अनुरूप विश्वविद्यालय चयन समिति की संस्तुतियों पर की जायेगी।	32. संवर्गीय पदों पर सीधी भर्ती खुले चयन द्वारा संबंधित संवर्ग की सुसंगत सेवा नियमावलियों के अनुरूप विश्वविद्यालय चयन समिति की संस्तुतियों पर की जायेगी : परन्तु किसी राजकीय विश्वविद्यालय/संस्थान/विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कार्मिक, जो संबंधित पद की अर्हता पूर्ण करते हो तथा उस पद के कार्यदायित्वों का विस्तृत कार्यानुभव भी रखते हों, को विहित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए कुलपति की संस्तुति पर प्रतिनियुक्ति/समायोजन/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर शासन के अनुमोदनोपरान्त नियुक्त किया जा सकेगा।

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No 62/XXVIII(5)/23-13(General)/2019 Dehradun, dated January 25, 2023 for general information

NOTIFICATION

Miscellaneous

January 25, 2023

No 62/XXVIII(5)/23-13(General)/2019–In exercise of the powers conferred by section 26 of the Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University Act. 2014 (Act No 05 of 2014), Executive Council is pleased to make the following regulations with the view to amend the Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University First Regulations 2020 -

The Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University First (Amendment) Regulations, 2023

Short title and commencement 1. (1) These Regulations may be called the Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University First (Amendment) Regulations, 2023

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

Amendment of regulation 4 2. In regulation 4 of the Hemwati Nandan Bahuguna Medical Education University First Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the principal Regulations) for the existing sub regulation (5) as set out in Column 1 below, the sub regulation as set out in Column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing sub-regulation	Column 2 Sub-regulation hereby substituted
(5) The Chancellor shall nominate a representative as subject specialists in the Selection Committee constituted for appointment and promotion of Faculty member/ employees of the University.	(5) The Chancellor shall nominate a representative as subject specialist in the Selection Committee constituted for appointment and promotion of Faculty member of the University.

Amendment of regulation 30 3. In the principal Regulations for the existing regulation 30 as set out in column 1 below, the regulation as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing regulation 30	Column 2 Regulation hereby substituted
	Selection Committee for appointment promotion on the post of faculty members of the university/constituent college shal. be as follows:- (a) Vice-Chancellor shall be the chairman of the committee. (b) Academic member nominated by the Chancellor, wherever applicable, not below the rank of Professor (c) Amongst the panel of names approved by the executive council of the university, three experts shall be nominated by the Chancellor in the concerned subject/field. (d) Dean of the Faculty, wherever applicable. (e) Head/chairman of concerned department, wherever applicable. (f) If applicant is a candidate belonging to the category of the Scheduled Caste / Scheduled Tribes /Other ,Backward Classes /Minority /Women/ Disabled and if no any member belongs to the above mentioned categories then a academician from these categories shall be nominated by the Vice-Chancellor

(1) For the recruitment of group 'B' employees, selection committee shall consist of— (a) Vice-chancellor- Chairman; (b) An invited member as nominated by Vice-chancellor- Member; (c) Head of department as nominated by Vice-chancellor- Member; (d) An officer of SC/ST/OBC as nominated by Vice-chancellor- Member, (e) Registrar- Member Secretary.	(1) In addition to the faculty members, selection/promotion committee for the officers of group "A" category shall be as follows:- a- Chancellor- **Chairman** b- Two officers nominated by the Chancellor- **member** c- An officer nominated by the Vice-Chancellor amongst the Scheduled Caste/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes /Minority/Women/Disabled- **member** d- Registrar- **Member Secretary.**
(2) For group C employees, selection committee shall consist of— (a) Vice-chancellor/ nominated officer by Vice-chancellor- Chairman, (b) An invited member as nominated by Vice-chancellor- Member; (c)Head of department as nominated by Vice-chancellor- Member; (d) An officer of SC/ST/OBC as nominated by Vice-chancellor- Member; (e) Registrar- Member secretary.	**(2) For the recruitment of group 'B' employees, selection committee shall consist of—** a- Vice-Chancellor- **Chairman,** b- An invited member nominated by Vice-Chancellor- **Member;** c- Division in charge nominated by Vice-Chancellor- **Member;** e- An officer of the Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes nominated by Vice-chancellor- **Member;** f- Registrar- **Member Secretary.** (3) Appointment of employees of Group 'C' category shall be accordance with the rules determined by State Government

Amendment of regulation 32 **4.** In the principal Regulations for the existing regulation 32 as set out in column 1 below, the regulation as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 **Existing regulation**	**Column 2** **Regulation hereby substituted**
32- In the cadre posts direct	32- In the cadre posts direct recruitment shall be

recruitment shall be done by an open selection according to the relevant service rules concerned cadre and on the recommendations of University selection committee

made by open selection accordance with the relevant service rules of the concerned cadre on the recommendations of University Selection Committee:

Provided that such substantively appointed employees in the State University/Institution/Department who fulfills the qualification of related post and also having comprehensive work experience of duties of that post, completing the prescribed procedure on recommendation of Vice-Chancellor may be appointed on the basis of deputation /merger/service transfer after approval of Government.

By Order,

ARUNENDRA SINGH CHAUHAN,

Additional Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 हिन्दी गजट/80–भाग 1–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड रूड़की।

पंजीकरण संख्या -UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 13, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1—क

नियम, कार्य -विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

<u>HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL</u>

<u>NOTIFICATION</u>

February 20, 2023

No. 34/UHC/Admin.A/2023--Civil Judge (Sr. Div.), Nainital is given the powers of Drawing and Disbursing Officer (DDO) of the Family Court, Nainital for the duration (w.e.f. 20.02.2023 to 25.03.2023) of child care leave of Ms. Anjushree Juyal, Judge, Family Court, Nainital, in light of the Notification No. 101 one/Nyay Anubhag/2002 dated 05.04.2002 of the Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Chief Justice

Sd/-

ANUJ KUMAR SANGAL

Registrar (Vigilance)

For Registrar General

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

22 सितंबर, 2022 ई0

उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022

सं. एफ़-9 (33)/आरजी/यूईआरसी/2022/771- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 57,58,59 व 86(1) (i) के साथ पठित धारा 181(1) और 181(2) (ज़ेडए व ज़ेडबी) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त सभी शक्तियों से समर्थ हो कर विद्युत नियामक आयोग एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम, डीम्ड अनुज्ञप्तिधारी(यों) व उत्तराखंड में सभी उपभोक्ताओं सहित वितरण व फुटकर आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी(यों) पर लागू होंगे।

(3) ये विनियम वर्तमान उविनिआ (कार्य निष्पादन के मानक) विनियम, 2007 को प्रतिस्थापित कर सरकारी गज़ट में इनके प्रकाशन की तिथि पर प्रवृत होंगे।

(4) ये विनियम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का अधिष्ठापन व प्रधालन) विनियम, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003, के वि.प्रा. (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबन्धित उपाय) विनियम, 2010, किसी अन्य सुसंगत के वि.प्रा. विनियम, उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020, और इस संबंध में समय-समय पर संशोधित किन्हीं अन्य सुसगत उविनिआ विनियमों के उपबंधों के अनुसार और कोई परिवर्तन किए बिना लागू और निर्वचित किए जाएगे।

(5) इन विनियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, एक वचन या बहुवचन स्वरूप में शब्दों को भी, यथास्थिति, एकवचन या बहुवचन में सम्मिलित किया समझा जाएगा तथा विनियम में प्रविष्ट शीर्षक केवल सुविधा हेतु है।

(यह विनियम गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है उपरोक्त पर किसी भी प्रकार की निर्वचनात्मकता के लिए अंग्रेजी विनियम ही अन्तिम रूप से मान्य होगा)

2. परिभाषाएँ

(1) इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो'

(क) "अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 अभिप्रेत है;

(ख) "आपूर्ति का क्षेत्र" से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके भीतर विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति द्वारा अधिकृत किया गया है,

(ग) "बिलिंग चक्र" या "बिलिंग अवधि" से आयोग द्वारा अनुमोदित वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियमित विद्युत बिल तैयार किए जाने हैं;

(घ) "ब्रेकडाउन" से उपभोक्ता के मीटर तक विद्युत लाईन सहित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के उपकरणों से सबन्धित घटना, जो इसके सामान्य कार्य में बाधा डाले, अभिप्रेत है;

(ङ) "के.वि.प्रा." से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "के वि प्रा. सुरक्षा अधिनियम" से "के.वि.प्रा. (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबन्धित उपाय) विनियम, 2010 व समय-समय पर संशोधन अभिप्रेत है;

(छ) "केन्द्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र" से इलेक्ट्रॉनिक रूप में (अनुज्ञप्तिधारी के ई-मेल, मोबाइल एप, वैबसाइट) या टेलीफोनिक रूप में (वॉइस कॉल-लैंड लाईन/मोबाइल) या इन विनियमों में उल्लिखित किसी अन्य माध्यम से शिकायतें या प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने के लिए ऐसी उपयुक्त आईटी समर्थ संरचना/सेटअप (वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर के साथ) अभिप्रेत है जो 24x7x365 प्रचालित रहे;

(ज) "दावे का आवेदन" से इन विनियमों में निर्धारित प्रारूप में प्रतिपूर्ति हेतु अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष रखा गया आवेदन अभिप्रेत है;

(झ) "आयोग" से उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है;

(ञ) "वितरण मेन" से किसी मेन का वह भाग अभिप्रेत है जिससे कोई सर्विस लाइन जुड़ी हुई है अथवा तुरत ही जोड़ी जाने वाली है;

(ट) "वितरण प्रणाली" से पारेषण लाइनों पर पारेषण बिन्दुओं के मध्य या उत्पादक स्टेशन सयोजन और संयोजन बिन्दु से उपभोक्ता के अधिष्ठान तक विद्युत के वितरण/आपूर्ति हेतु उपयोग में लाई जाने वाली केबल्स और सहायक सुविधाओं की प्रणाली अभिप्रेत है,

वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली में ऐसी विद्युत लाईन, उप-स्टेशन और विद्युत सयंत्र भी सम्मिलित होंगे जो मूल रूप से ऐसे वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में विद्युत के वितरण के उद्देश्य से रखे गए हैं, भले ही ऐसी लाइनें, उप-स्टेशन या विद्युत सयत्र उच्च दाब केबल्स या ओवरहेड लाईन्स हों अथवा ऐसे उच्च दाब केबल्स या ओवरहेड लाईन्स से सबन्धित हों या उनका आकस्मिक उपयोग अन्य लोगों को विद्युत के पारेषण के उद्देश्य से किया जाता हो

(ठ) "विद्युत निरीक्षक" से समुचित सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 162 की उप-धारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है तथा इसमें मुख्य विद्युत निरीक्षक भी सम्मिलित है;

(ड) "अति उच्च टैंशन (ईएचटी)" से अनुमोदित प्रतिशत परिवर्तन के अधीन, सामान्य परिस्थितियों में 33000 वोल्ट्स से अधिक वोल्टेज अभिप्रेत है;

(ढ) "फ्रैंचाइज़ी" से वितरण अनुज्ञापी द्वारा अधिकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अपने आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र विशेष में उसकी ओर से विद्युत का वितरण करता हो;

(ण) "सरकार" से उत्तराखड सरकार अभिप्रेत है;

(त) "हैल्प डैस्क" से इलेक्ट्रॉनिक रूप में (अनुज्ञप्तिधारी के ई-मेल मोबाइल एप, वैबसाइट) या टैलीफोनिक रूप में (वॉइस कॉल-लैंड लाईन/मोबाइल) या इन विनियमों में उल्लिखित किसी अन्य माध्यम से शिकायतें या प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत करने के लिए सब-डिविजनल स्तर/खण्ड स्तर/मण्डल स्तर/ज़ोनल स्तर/कॉर्पोरेट स्तर पर ऐसी उपयुक्त आईटी समर्थ संरचना/सेटअप (वॉइस रिकॉर्डिंग फीचर के साथ) अभिप्रेत है जो सभी कार्य दिवसों पर अनुसूचित काम के घटों के दौरान प्रचालित रहे;

(थ) "उच्च टैंशन (एचटी)" से अनुमोदित प्रतिशत परिवर्तन के अधीन, सामान्य परिस्थितियों में 650 वोल्ट्स से अधिक और 33000 वोल्ट्स तक की वोल्टेज अभिप्रेत है;

(द) "अनुज्ञप्तिधारी" से अधिनियम के भाग IV के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ध) "स्थानीय शिकायत केंद्र" से उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत की रिपोर्टिंग/पजीकरण हेतु वितरण अनुज्ञापी के स्थानीय 33/11 केवी उप-स्टेशन्स या कोई अन्य स्थानीय शिकायत केंद्र अभिप्रेत हैं;

(न) "लो टैंशन (एलटी)" से अनुमोदित प्रतिशत परिवर्तन के अधीन, सामान्य परिस्थितियों में फेज और न्यूट्रल के मध्य 230 वोल्ट्स या किन्ही दो फेजेस के मध्य 400 वोल्ट्स की वोल्टेज अभिप्रेत है,

(प) "मीटर" से प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट अथवा आयोग द्वारा अधिसूचित रूप में विद्युत के सचार, अधिकतम माग, किसी अन्य मापदंड अथवा विद्युत प्रणाली से सबन्धित किसी अन्य आनकारी को नापने, इंगित करने और रिकॉर्ड करने के लिए उपयुक्त युक्ति अभिप्रेत है तथा जहा कहीं भी लागू हो इसमें इस उद्देश्य हेतु आवश्यक करेंट ट्रासफॉर्मर (सीटी), वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (वीटी) या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर (सीवीटी) जैसे अन्य उपकरणों सहित नेट मीटर सम्मिलित होगा,

स्पष्टीकरण: इसमें विश्वसनीयता आश्वस्त करने और विद्युत की चोरी/अनाधिकृत उपयोग रोकने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदत्त कोई सील या सीलिंग व्यवस्था तथा अन्य उपाय/गुण सम्मिलित होंगे.

यहाँ "नेट मीटर" से तात्पर्य एक ऐसे उपयुक्त मीटर से है जो विद्युत के आयात व निर्यात दोनों को रिकॉर्ड करने में सक्षम हो या जिसमें यथास्थिति विद्युत के शुद्ध आयात और शुद्ध निर्यात प्रत्येक को रिकॉर्ड करने के लिए मीटर्स का एक जोड़ा हो;

(फ) "ग्रामीण क्षेत्र" से शहरी क्षेत्रों को छोड़ कर सभी अन्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;

(ब) "सर्विस लाइन" से वह विद्युत सर्विस लाईन अभिप्रेत है जिसके माध्यम से ऊर्जा, वितरण मेन से एकल उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को वितरण मेन के उसी बिन्दु से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आपूर्ति की जाती है या किया जाना आशयित है;

(भ) "एसओपी" से स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस (कार्य निष्पादन के मानक) अभिप्रेत है;

(म) "शहरी क्षेत्र" कोई नगर निगम या नगर पालिका या नगर परिषद या टाउन एरिया या शहरी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र या कोई अन्य नगर निकाय है।

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में आने वाले शब्द या अभिव्यक्तियाँ जो यहाँ परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम/नियमों/के वि प्रा. विनियमों/शुल्क आदेश में परिभाषित किए गए हैं उनका वही अभिप्राय होगा जैसा कि अधिनियम/नियमों/के वि.प्रा. विनियमों/शुल्क आदेश में दिया गया है या इसकी अनुपस्थिति में वही अभिप्राय होगा जो कि विद्युत आपूर्ति उद्योग में सामान्य रूप से समझा जाता है।

3. उद्देश्य

(1) ये विनियम अनुमन्य सीमा के भीतर वितरण प्रणाली और आपूर्ति मापदड बनाए रखने के लिए मानक नियत करते हैं। ये मानक विद्युत वितरण की एक दक्ष, विश्वसनीय, समन्वित और

किफायती प्रणाली प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्तिधारियों/फ्रैंचाईजीज हेतु मानदंड का कार्य करेंगे। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी से उसे इन विनियमों में निर्मित उपबंधों के अनुसार विद्युत आपूर्ति के लिए सेवा के न्यूनतम मानक प्राप्त हों।

(2) इन विनियमों के उद्देश्य हैं:

(क) कार्य निष्पादन के मानक नियत करना;

(ख) कार्य निष्पादन के मानदंडक मानकों के समक्ष अनुज्ञप्तिधारियों/फ्रैंचाईजीज के वास्तविक कार्य निष्पादन को मापना;

(ग) वितरण नेटवर्क के कार्य निष्पादन की गुणवत्ता और उपयुक्तता सुनिश्चित करना;

(घ) उपभोक्ताओं हेतु अपनी प्रणाली और उपकरण डिज़ाइन करने के लिए समर्थ बनाना ताकि विद्युत के जिस वातावरण में वे कार्यरत हैं वह उनके लिए उपयुक्त हो सके

(ङ) उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार लाना

(च) इन विनियमों की अनुसूची- में दिये गए कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा बैंचमार्क मानकों को प्राप्त करने में अनुज्ञप्तिधारी के असफल रहने पर उपभोक्ताओं को उचित प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना।

4. कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा और सम्पूर्ण मानक

(1) अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट मानक कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा मानक होंगे जिन्हें सेवा के न्यूनतम मानक होने के कारण अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त करना होगा।

(2) अनुसूची II में विनिर्दिष्ट मानक कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानक होंगे जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी के रूप में अपनी बाध्यताओं के निर्वाह हेतु अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त करना होगा।

(3) आयोग एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर **अनुसूची I** व **अनुसूची II** की अंतर्वस्तुओं में जोड़, परिवर्तन, बदलाव, परिशोधन या संशोधन कर सकता है।

5. शिकायत के निपटान की प्रक्रिया

(1) इन विनियमों के अधिसूचित होने के 03 माह के भीतर अनुज्ञप्तिधारी शिकायत के निपटान की प्रक्रिया को अद्यतन करेगा और उत्तराखंड वितरण और फुटकर आपूर्ति अनुज्ञप्ति (संख्या 2/2003) के प्रस्तर 23.4 पर उल्लिखित शर्तों के अनुसार अनुमोदन हेतु आयोग के समक्ष हिन्दी और अँग्रेजी, दोनों में प्रस्तुत करेगा।

(2) वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित शिकायत के निपटान की प्रक्रिया को अद्यतन करते समय अपने उपभोक्ताओं की शिकायत के निपटान हेतु आवश्यक समयावधि को न्यूनतम करने के लिए उपलब्ध संचार प्रौद्योगिकी की विशेषताओं को सम्मिलित करना होगा तथा वह सेवा भी प्रस्तावित करनी होगी जिसे प्रतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान हेतु अपनाया जाएगा।

(3) प्रत्येक शिकायत का विवरण प्रारूप एसओपी-1 के अनुसार किया जाएगा।

6. प्रतिपूर्ति तंत्र

(1) यदि अनुज्ञप्तिधारी **अनुसूची-I** में विनिर्दिष्ट निष्पादन के गारंटीशुदा मानकों को पूरा करने में विफल रहता है तो प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत होने पर प्रतिपूर्ति का भुगतान अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा। प्रभावित व्यक्ति को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति इन विनियमों की **अनुसूची –II** में विनिर्दिष्ट की गयी है।

परंतु, इन विनियमो के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अनुसार शिकायत के निपटान की प्रक्रिया को अद्यतन करते समय वितरण अनुज्ञप्तिधारी उन सेवाओं को प्रस्तावित करेगा जो प्रतिपूर्ति के स्वचालित भुगतान हेतु योग्य हैं (जिनके लिए प्रभावित व्यक्ति को उसकी प्रतिपूर्ति के दावे के लिए शिकायत दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है) तथा अपने रिकॉर्ड्स के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी प्रभावित उपभोक्ता के अगले बिल में प्रतिपूर्ति की राशि क्रेडिट करेगा।

परंतु लाईन्स/पोल्स/ट्रांसफॉरमर्स का स्थान बदलने पर प्रभावित व्यक्ति को देय प्रतिपूर्ति का भुगतान इस विनियम के उप-विनियम (7) में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर चैक/एनईएफटी/आरटीजीएस के द्वारा किया जाएगा।

परंतु, यदि उपभोक्ता से किन्हीं देयों की वसूली स्थगित करते हुए किसी न्यायालय, फोरम, न्यायाधिकरण या आयोग द्वारा स्थगन आदेश है और तो ऐसे आदेश की प्रचालन अवधि के दौरान प्रतिपूर्ति देय हो जाएगी किन्तु उपभोक्ता को इसका भुगतान उपभोक्ता के पक्ष में उस मामले का अंतिम निर्णय आ जाने के पश्चात ही देय होगा।

परंतु यह भी कि यदि उपभोक्ता से कोई पिछला बकाया वसूल किया जाना है तो प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(2) प्रतिपूर्ति के सभी मामलों में प्रतिपूर्ति का भुगतान केवल विद्युत बिल में उसे क्रेडिट कर और तत्पश्चात समाशोधन अनुज्ञप्तिधारी/फ्रैंचाईजी द्वारा विद्युत की आपूर्ति हेतु वर्तमान और तुरंत पश्चात भविष्य के बिलों में किया जाएगा। कुल देय प्रतिपूर्ति और उस पर किए गए भुगतान का विवरण उपभोक्ता के प्रत्येक विद्युत बिल पर दर्शाया जाएगा।

परतु यदि फोरम/न्यायालय के निर्णय के कारण प्रतिपूर्ति के भुगतान में विलब होता है और तब तक उपभोक्ता की इच्छानुसार सयोजन स्थायी रूप से कट जाता है तथा उसकी ओर से कोई देय बकाया नहीं रहते तो प्रतिपूर्ति का भुगतान चैक/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा।

(3) कार्य निष्पादन के गारटीशुदा मानकों के सबध में जागरूकता लाने के लिए अनुज्ञप्तिधारी शिकायतों के पंजीकरण की सूचना के साथ-साथ अलग-अलग शिकायतकर्ताओं को इन विनियमों की अनुसूची I के अनुसार गारटीशुदा समय की सूचना प्रदान करेगा। अनुज्ञप्तिधारी/फ्रैंचाईजी शिकायत के प्रत्येक पंजीकरण के साथ-साथ इन विनियमों की अनुसूची III के अनुसार प्रतिपूर्ति का विवरण भी प्रदान करेगा।

(4) यदि शिकायत के समाधान में अनुसूची I में निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब होता है तो उपभोक्ता द्वारा प्रतिपूर्ति का दावा शिकायत के समाधान के अधिकतम 30 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

(5) उपभोक्ता द्वारा अपना दावा प्रारूप एसओपी-2 के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है ऐसा दावा संबन्धित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से / ई-मेल / रजिस्टर्ड पोस्ट / ऑनलाइन / मोबाइल ऐप / हैल्प डेस्क / केंद्रीयकृत ग्राहक सेवा केंद्र द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

परंतु अनुज्ञप्तिधारी, इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से नौ (09) माह के भीतर एक ऑनलाइन सुविधा निर्मित करेगा जिस पर रजिस्टर कर उपभोक्ता प्रतिपूर्ति राशि का दावा कर सकेगा। इस सबध में जानकारी उपयुक्त साधनों, जिनमें मास मीडिया / बिल्स /एसएमएस / ई मेल / अनुज्ञप्तिधारी की वैबसाइट सम्मिलित हैं, द्वारा उपभोक्ताओं के मध्य वृहद रूप से प्रसारित की जाएगी

(6) दावे के प्रत्येक आवेदन को एक रजिस्ट्रेशन नबर प्रदान किया जाएगा जो यूनिक शिकायत संख्या से भिन्न होगा अनुज्ञप्तिधारी प्रतिपूर्ति दावा रजिस्ट्रेशन सख्या और उस पर की गयी कार्यवाही का ऑनलाइन डाटा रखेगा तथा इसे अपनी वैबसाइट पर पूर्ण रूप से प्रदर्शित करेगा।

परतु, यदि उपभोक्ता का मोबाइल नंबर और/या ई-मेल आईडी रजिस्टर किया गया है तो प्रतिपूर्ति दावा रजिस्ट्रेशन सख्या उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नबर और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल द्वारा भेजा जाएगा

(7) अनुज्ञप्तिधारी, विवरण एव सुसगत विनियम का सदर्भ प्रदान करते हुए अपने कार्यालय पर निर्धारित प्रारूप एसओपी-2 में दावे के आवेदन के रसीद की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रभावित व्यक्ति को देय प्रतिपूर्ति का निर्धारण करेगा तथा इसके पश्चात प्रतिपूर्ति, यदि कोई

हो, तो ऐसी प्रतिपूर्ति के निर्धारण की तिथि से 60 दिन के भीतर उपभोक्ता के बिल में क्रेडिट कर और आगे का समाशोधन वर्तमान और भविष्य के बिलों में कर प्रतिपूर्ति प्रदान करेगा। प्रतिपूर्ति के इकार किए जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी प्रतिपूर्ति के दावे के आवेदन की रसीद की तिथि से 45 दिन के भीतर प्रतिपूर्ति के प्रत्येक दावे के सबध में प्रभावित व्यक्ति को सुनने के पश्चात एक समुचित आदेश पारित करेगा। ऐसे सभी आदेशों को अनुज्ञप्तिधारी की वैबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही उपभोक्ता को प्रेषित किया जाएगा।

(8) उपरोक्त उप-विनियम (7) के अनुसार प्रतिपूर्ति कर पाने में अनुज्ञप्तिधारी का असफल रहना या अनुज्ञप्तिधारी के निर्णय के साथ उपभोक्ता का असंतुष्ट होना एक शिकायत होगी जिसका निवारण समय-समय पर संशोधित उविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबधी दिशा-निर्देश) विनियम 2019 या इस उद्देश्य हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य विनियमों में नियत की गयी प्रक्रिया के अनुसार संबन्धित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ़) द्वारा किया जाएगा। व्यथित उपभोक्ता, उपरोक्त उप-विनियम (7) में उल्लिखित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारित आदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर सबन्धित सीजीआरएफ़ से संपर्क कर सकेगा।

(9) यदि शिकायत निवारण मंच विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रतिपूर्ति की राशि तय नहीं करता है अथवा व्यथित व्यक्ति निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह ओम्बड्समैन (विद्युत) के पास जाने के लिए स्वतत्र होगा। जो समय-समय पर संशोधित उविनिआ (ओम्बड्समैन की नियुक्ति एवं कार्य क्षेत्र) विनियम, 2004 या इस उद्देश्य हेतु आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन मामले का निपटान करेगा,

(10) ऐसी प्रतिपूर्ति का भुगतान किसी ऐसे दंड के प्रतिकूल नहीं होगा जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में अनुज्ञप्तिधारी की विफलता के लिए लगाया गया हो।

7. अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व

(1) एसओपी रिपोर्ट्स जमा करना: अनुज्ञप्तिधारी कार्य निष्पादन स्तर और प्रतिपूर्ति पर नीचे दी गयी सारिणी के अनुसार रिपोर्ट्स जमा करेगा। :-

क्रम स.	रिपोर्ट का प्रकार	रिपोर्ट का विवरण	अवधि/समय सीमा
(क) गारंटीशुदा मानक संबंधी			
1	गारटीशुदा मानक (अधिनियम की धारा 59(1)(a) के अनुसार)	अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारटीशुदा मानकों पर मासिक डिविजन वाइज रिपोर्ट्स जिन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-3 में जमा किया जाएगा।	मासिक/माह समाप्ति के 15 दिन के भीतर

2	गारंटीशुदा मानक (अधिनियम की धारा 59(1)(a) के अनुसार	डिसकॉम हेतु अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों पर वार्षिक समेकित रिपोर्ट जिन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-4 में जमा किया जाएगा।	वार्षिक/वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर
(ख) सम्पूर्ण मानक संबंधी			
3	सम्पूर्ण मानक गारंटीशुदा मानक (अधिनियम की धारा 59(1)(a) के अनुसार)	अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानकों पर सर्कल वाइज त्रैमासिक रिपोर्ट्स जिन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-5 में जमा किया जाएगा।	त्रैमासिक/तिमाही समाप्त होने के 15 दिन के भीतर
4.	सम्पूर्ण मानक गारंटीशुदा मानक (अधिनियम की धारा 59(1)(a) के अनुसार)	अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानकों पर सर्कल वाइज वार्षिक रिपोर्ट जिन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-6 में जमा किया जाएगा।	वार्षिक/वित्त वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर
(ग) प्रतिपूर्ति संबन्धित			
5.	भुगतान की गई प्रतिपूर्ति (अधिनियम की धारा 59(1)(b) के अनुसार)	अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों के अनुसार भुगतान की गई प्रतिपूर्ति पर डिविजन वाइज वार्षिक रिपोर्ट्स जिन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-7 में जमा किया जाएगा।	त्रैमासिक/तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के भीतर
6	प्रतिपूर्ति के दावे	अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों के अनुसार दावा की गई प्रतिपूर्ति पर डिविजन वाइज अर्ध वार्षिक रिपोर्ट तथा इन दावों के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा की गई कार्यवाही तथा इन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-8 में जमा किया जाएगा।	अर्ध वार्षिक/अर्ध वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर
7.	सुधार हेतु उपाय	अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों के अनुसार कार्य निष्पादन में सुधार हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किए गए उपाय और आगामी वर्ष के लिए कार्य निष्पादन में सुधार के अनुज्ञप्तिधारी के लक्ष्य और इन्हें इन विनियमों के निर्धारित प्रारूप एसओपी-9 में जमा किया जाएगा।	वार्षिक/ वित्त वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के भीतर
8.	विश्वसनीयता सूचकांकों के वार्षिक लक्ष्य	विश्वसनीयता सूचकांकों के वार्षिक लक्ष्य स्तर (SAIFI, SAIDI, MAIFI) एआरआर के साथ इन विनियमों के प्रारूप प्रारूप एसओपी-10 में प्रस्तुत किए जाएगे।	वार्षिक/एआरआर के साथ

(2) आयोग समय-समय पर आवश्यक प्रतीत होने पर पृथक आदेश द्वारा प्रारूप में संशोधन कर सकेगा।

(3) अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से नौ (09) माह के भीतर शिकायतों और प्रतिपूर्ति के दावों से संबन्धित रिपोर्ट्स संरचित करने के लिए अपनी वैबसाइट में रिपोर्ट संरचना हेतु फ्रेमवर्क विकसित करेगा, यह रिपोर्ट अनुश्रवित मानदंडों की परिवर्तनशीलता के आधार पर संरचित की जाएगी, इन मानदंडों में शिकायत का प्रकार, शिकायत की प्रास्थिति खण्ड का नाम, यूनिक शिकायत संख्या, प्रतिपूर्ति रजिस्ट्रेशन संख्या या समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित मानदंड सम्मिलित होंगे किन्तु इन तक सीमित नहीं होंगे। रिपोर्ट संरचना फ्रेमवर्क आयोग द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

(4) अनुज्ञप्तिधारी अपनी प्रणाली इस प्रकार डिजाइन करेगा कि इन विनियमों में दिये गए मापदण्डों को पूरा किया जा सके।

8. प्रचार और जागरूकता

(1) वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनुमोदित शिकायत निपटान प्रक्रिया (शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, शिकायत निवारण पर जानकारी के साथ) अनुसूची-I के अनुसार कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा मानक, अनुसूची-II के अनुसार प्रतिपूर्ति उपबंध तथा एसओपी से संबन्धित किसी अन्य जानकारी पर जागरूकता लाने के लिए मीडिया, टीवी, वैबसाइट द्वारा और अपनी उप-खण्ड /खण्ड/मण्डल /जोनल कार्यालयों पर प्रदर्शित कर प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के महीने में समाचार पत्रों द्वारा समुचित प्रचार करेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्येक कार्यालय पर उपभोक्ता के संदर्भ हेतु यह सब उपलब्ध कराएगा।

(2) उपरोक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित एसओपी से संबन्धित सभी जानकारी आवधिक रिपोर्ट्स सहित सुलभ सदर्भ हेतु वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वेबसाइट पर एक अनन्य लिंक/सेक्शन के माध्यम से संरचित की जाएगी।

(3) वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त उप-विनियम (2) में उल्लिखित अनन्य लिंक/सेक्शन में अपनी वेबसाइट पर फीडर वाईज डाटा, आउटेजेज़ को न्यूनतम करने, चोरी या विद्युत के अनधिकृत उपयोग अथवा हेर-फेर, विद्युत संयत्र, लाइनों या मीटर की विपति अथवा हानि की रोकथाम के लिए किए गए प्रयास तथा वर्ष के दौरान प्राप्त परिणाम वार्षिक रूप से प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्था करेगा।

9. फीस और फाईन्स

अनुज्ञप्तिधारी के पास इन विनियमों के अधीन शिकायत/प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने और सीजीआरएफ़ या ओम्बड्समैन को प्रतिपूर्ति हेतु दावे के निवारण हेतु आवेदन/शिकायत पर कोई फीस देय या लागू नहीं होगी।

10. छूट

(1, इस विनियम में विनिर्दिष्ट कार्य निष्पादन के मानक अनुज्ञप्तिधारी के अधिष्ठानों को प्रभावित करने वाली अपरिहार्य घटनाओं जैसे कि युद्ध, विद्रोह, सिविल-अशांति, दंगे, बाढ़, चक्रवात, बिजली गिरने, भूकंप, महामारी, तालाबंदी, अग्नि के दौरान निलंबित रहेंगे।

(2) इस विनियम में समावेशित मानकों का पालन न करना उस अवस्था में उल्लंघन नहीं माना जाएगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता (ओं) को क्षतिपूर्ति देना आवश्यक नहीं होगा जबकि यह उल्लंघन ग्रिड की विफलता, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नेटवर्क में दोष आने पर या एसएलडीसी द्वारा दिये गए ऐसे अनुदेशों के कारण हुआ हो जिन पर अनुज्ञप्तिधारी का कोई युक्तियुक्त नियंत्रण नहीं था तो इन विनियमों में समाहित मानकों के ऐसे अननुपालन को उल्लंघन नहीं माना जाएगा, और अनुज्ञप्तिधारी के लिए प्रभावित उपभोक्ता (ओं) को कोई प्रतिपूर्ति का भुगतान करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) यदि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (सीजीआरएफ) इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी त्रुटि अनुज्ञप्तिधारी पर आरोपित कारणों से न हो कर अन्य कारणों से है तथा यह भी कि अनुज्ञप्तिधारी ने अन्यथा अपनी बाध्यताएं पूरी करने का प्रयास किया है तो कार्य निष्पादन के किन्हीं मानकों में किसी भी त्रुटि के लिए उपभोक्ता को प्रतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, एक सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा, अनुज्ञप्तिधारी व प्रभावित उपभोक्ता (ओं), उपभोक्ता समूहों को सुनने के बाद, राहत प्रदान कर सकता है ऐसे मामले सीजीआरएफ द्वारा आयोग को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किए जाएंगे।

11. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती हो तो आयोग स्वत: संज्ञान द्वारा अथवा किसी याचिका पर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा ऐसे उपबंध निर्मित कर सकता है जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

12. संशोधित करने की शक्ति

आयोग, कारण अभिलिखित कर किसी भी समय इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों को परिवर्तित, उपांतरित या संशोधित कर सकता है

13. शिथिलीकरण की शक्ति

आयोग, कारण अभिलिखित कर और प्रभावित होने वाले पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा स्वयं प्रस्तावित कर अथवा हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर इन विनियमों के किन्हीं उपबंधों में शिथिलता प्रदान कर सकता है।

अनुसूची-I (कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा मानक)

1. नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी

क्रम सं.	निवेदन की प्रकृति	विनिर्दिष्ट समय*
1)	नए एलटी संयोजनों का जारी किया जाना	एलटी संयोजनों के लिए • 15 दिन के भीतर- जहां वितरण मेन के विस्तार या वितरण मेन बिछाने या नए सब -स्टेशन की आवश्यकता नहीं है जहां वितरण मेन के विस्तार या वितरण मेन बिछाने या नए सब-स्टेशन की आवश्यकता है • 60 दिन के भीतर – वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है। • 90 दिन के भीतर – नए 11/0.4 केवी सब -स्टेशन को चालू करना अपेक्षित है। • 180 दिन के भीतर - नए 33/11 केवी सब-स्टेशन को चालू करना अपेक्षित है
2)	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी किया जाना	एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए 1) जहां आवेदन किए गए परिसर को विद्युत की आपूर्ति हेतु नए सब-स्टेशन/बे की आवश्यकता न हो। • 60 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर न हो। • 90 दिन के भीतर – 11 केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर हो, • 180 दिन के भीतर – 33 केवी कार्य लाईन सहित। • 300 दिन के भीतर – 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाईन सहित। 2) जहां आवेदन किए गए परिसर को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब-स्टेशन/बे की आवश्यकता हो वहाँ नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा होगी:- • 180 दिन के भीतर – नया 33/11 केवी सब-स्टेशन • 120 दिन के भीतर – विद्यमान 33/11 kV केवी सब-स्टेशन का विस्तार • 45 दिन के भीतर – 33/11 केवी सब स्टेशन पर बे का विस्तार

		• 540 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सब स्टेशन • 90 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सब-स्टेशन पर बे का विस्तार
3)	भार में वृद्धि/कमी	जहां लाईन्स/सब-स्टेशन्स कार्य में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है- • 15 दिन के भीतर – एलटी संयोजनों के लिए • 30 दिन के भीतर – एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए
		जहां लाईन्स/सब-स्टेशन्स कार्य में परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ समय सीमा ऊपर उल्लिखित इस सारिणी की क्रम सं. 1) व 2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी

•उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 3.3.3 (15), विनियम 3.3.3(16), विनियम 3.4.3 (10) और विनियम 3.4.3 (11) में विनिर्दिष्ट समय सीमा।

2. विद्युत आपूर्ति की बहाली

क्रम सं.	विद्युत आपूर्ति की विफलता के कारण का स्वभाव	बहाली हेतु अधिकतम समय सीमा
1)	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/एमसीसीबी ट्रिप्ड (यदि फ्यूज या एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी की हैं)	• 4 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए • 8 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 12 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों•
2)	सर्विस लाईन टूटना, सर्विस लाइन का खंबे से हटना	• 8 घंटे के भीतर – शहरी क्षेत्रों के लिए • 12 घंटे के भीतर – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों•
3)	एलटी वितरण लाइन/प्रणाली में दोष	दोष का निवारण और तत्पश्चात सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली: • 12 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 24 घंटे के भीतर – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों• जहां कहीं साध्य हो वहाँ वैकल्पिक स्रोत से 4 घंटे के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल की जाएगी
4)	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना	विफल प्रवर्तक को बदलने हेतु • 24 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों• के लिए • 48 घंटे के भीतर – मोटर मार्ग से जुड़े पर्वतीय क्षेत्र• • 72 घंटे के भीतर - – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों•

		जहां कहीं साध्य हो वहाँ सचल प्रवर्तक या किसी अन्य बैकअप स्रोत द्वारा 8 घंटे के भीतर अस्थायी आपूर्ति बहाल की जाएगी
5)	फ्यूज उड़ने, लाईन टूटने या किसी अन्य दोष के कारण एचटी(11केवी व 33 केवी) मेन्स विफल होना	दोष का निवारण . • 12 घंटे के भीतर – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 36 घंटे - (फ्यूज उड़ने के मामलों को छोड़ कर, जिसके लिए समय सीमा 24 घंटे होगी) – ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों* जहां कहीं साध्य हो वहाँ 4 घंटे के भीतर ऊर्जा आपूर्ति की अस्थायी बहाली की जाएगी
6)	33/11 केवी सब-स्टेशन में दोष	मरम्मत और ऊर्जा की बहाली: • 24 घंटे के भीतर – मैदानी क्षेत्रों में • 48 घंटे के भीतर – पर्वतीय क्षेत्रों में जहां कहीं साध्य हो वहाँ 6 घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली की जाएगी। वैकल्पिक स्रोत की ओवर लोडिंग टालने के लिए रोस्टर लोड शेडिंग की जा सकेगी।
7)	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना	10 दिन के भीतर सुधार कार्य पूर्ण किया जाएगा। जहां कहीं साध्य हो वहाँ 6 घंटे के भीतर वैकल्पिक स्रोत से आपूर्ति की बहाली। वैकल्पिक स्रोत की ओवर लोडिंग टालने के लिए रोस्टर लोड शेडिंग की जा सकेगी
8)	भूमिगत ((अंडर ग्राउंड) प्रणाली में दोष	• 12 घंटे के भीतर – एलटी प्रणाली के लिए • 48 घंटे के भीतर –एचटी प्रणाली के लिए

**यहाँ 'मोटरेबल मार्ग' से ऐसे मार्ग अभिप्रेत हैं जो स्थल तक चार पहिया वाहनों की आवा-जाही के लिए उपयुक्त हैं।*

3. ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता

3.1 वोल्टेज परिवर्तन:

(1) एक उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर अनुज्ञप्तिधारी उचित वोल्टेज बनाए रखेगा जो कि घोषित वोल्टेज के सबंध में यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होगी:

(क) निम्न वोल्टेज (एलटी) के मामले में, +6% और -6%,
(ख) उच्च वोल्टेज (एचटी) के मामले में, +6% और -9%, और
(ग) अति उच्च वोल्टेज (ईएचटी) के मामले में, +10% और -12.5%

(2) वोल्टेज की समस्या को नीचे दी गयी सारिणी में विनिर्दिष्ट समय सीमा में सुलझाया जाएगा

क्रम सं.	वोल्टेज परिवर्तन से संबन्धित समस्या का कारण	सेवा प्रदान करने हेतु समय सीमा
1)	स्थानीय समस्या (वोल्टेज विचलन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फ्लिकरिंग या कोई अन्य समस्या)	4 घंटे के भीतर

2)	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन	3 दिन के भीतर
3)	वितरण लाईन/प्रवर्तक/कैपेसिटर की मरम्मत	• 15 दिन के भीतर – एलटी वितरण लाईन • 90 दिन के भीतर – एचटी वितरण लाईन • 30 दिन के भीतर – वितरण प्रवर्तक • 120 दिन के भीतर – ऊर्जा प्रवर्तक • 30 दिन के भीतर – कैपेसिटर
4)	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चीकरण	• 90 दिन के भीतर एलटी प्रणाली के लिए • 180 दिन के भीतर - एचटी प्रणाली के लिए
5)	वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति *	दोष पूर्ण भाग को तुरत पृथक करना

**यदि निकट पड़ोस में एक से अधिक उपभोक्ता के उपकरण प्रभावित हुए हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 72 घंटे के भीतर क्षतिपूर्ण उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात मरम्मत पर हुए व्यय के संबंध में प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमा कर दिया जाता है और इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है।*

3.2 हार्मोनिक्स

अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों की अधिसूचना की तिथि से 6 माह के भीतर विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर जुड़े उपभोक्ताओं के लिए प्रारम्भ के बिन्दु पर करेंट और वोल्टेज हेतु टोटल हार्मोनिक्स डिस्टौर्शन (टीएचडी) की सीमा प्रस्तुत करेगा। आयोग तदनुरूप टीएचडी स्तरों की सीमा अधिसूचित करेगा।

4. मीटर्स के संबंध में शिकायतें

क्रम सं.	शिकायत का स्वभाव	विनिर्दिष्ट समय सीमा*
1)	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा
2)	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर – मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा
3)	जले हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 08 घंटे के भीतर – जले हुए मीटर को बाई-पास करते हुए आपूर्ति की बहाली • 03 दिन के भीतर – नया मीटर संस्थापित किया जाएगा

**उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नए संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 5.1.3(5), विनियम 5.1.3(10), विनियम 5.1.4 और विनियम 5.1.5 (1,) में विनिर्दिष्ट समय सीमा।*

5. उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन

अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता के संयोजन के अंतरण और श्रेणी के परिवर्तन को निम्नलिखित समय सीमा के भीतर प्रभावी बनाएगा

क्रम सं.	शिकायत का स्वभाव	विनिर्दिष्ट समय सीमा*
1)	संपत्ति पर स्वामित्व/ कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात दो माह के भीतर
2)	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अंतरण	आवेदन स्वीकार किये जाने की तिथि के पश्चात दो माह के भीतर
3)	श्रेणी का परिवर्तन	• 5 दिन के भीतर – परिसर का निरीक्षण • 02 माह के भीतर – श्रेणी का परिवर्तन

**उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 4.3.1.(3), विनियम 4.3.2(2) और विनियम 4.4(3) में विनिर्दिष्ट समय सीमा।*

6. उपभोक्ता के बिलों के संबंध में शिकायतें

क्रम सं.	शिकायत का स्वभाव	विनिर्दिष्ट समय सीमा*
1)	प्रथम बिल	संयोजन जारी होने के 02 माह के भीतर
2)	बिलिंग की शिकायतें	[शिकायत की पावती • तुरंत - हस्तो प्राप्त शिकायतों के लिए। • 3 दिन के भीतर – डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए] शिकायत का समाधान और उपभोक्ता को सूचना • 15 दिन के भीतर – यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो • 30 दिन के भीतर – यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो
3)	परिसर खाली करने/ कब्जे में परिवर्तन हेतु अंतिम बिल	[परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 07 दिन पहले उपभोक्ता द्वारा विशेष रीडिंग हेतु निवेदन किया जाएगा] अंतिम बिल की डिलिवरी पिछला बकाया सहित यदि कोई हो, – विशेष रीडिंग की व्यवस्था होने के पश्चात परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 03 दिन पहले
4)	[उपभोक्ता के निवेदन पर] स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिलिंग	[स्थायी विच्छेदन के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कोई बिल जारी नहीं करेगा] यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिल जारी करता है तो वह प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।
5)	बिल में दर्शाये जा रहे पिछला बकाया /त्रुटिपूर्ण रूप से जारी किए गए बिल	अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि हेतु बकाया जारी नहीं करेगा जिसका उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है।

**उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 5.2.4, विनियम 5.2.6, विनियम 6.2(5) और विनियम 5.2.5 में विनिर्दिष्ट समय सीमा।*

7. आपूर्ति के विच्छेदन/पुनः संयोजन से संबन्धित मामले

क्रम सं.	शिकायतका स्वभाव	विनिर्दिष्ट समय सीमा
(1)	पुनः संयोजन हेतु निवेदन	पिछले देयों और पुनः संयोजन प्रभारों के भुगतान के 5 दिन के भीतर -यदि उपभोक्ता विच्छेदन के पश्चात छः माह की अवधि के भीतर या स्थायी विच्छेदन, दोनों में से जो बाद में हो, से पूर्व, पुनः संयोजन हेतु निवेदन करता है।

		तथापि, यदि उपभोक्ता विच्छेदन के पश्चात छः माह या स्थायी विच्छेदन के पश्चात, दोनों में से जो बाद में हो, पुनः संयोजन हेतु निवेदन करता है तो संयोजनों का पुनः संयोजन उपभोक्ता की उस श्रेणी के लिए लागू लंबित देयों, सेवा लाईन प्रभार, प्रतिभूति जमा इत्यादि के भुगतान सहित, नए संयोजन जारी किए जाने के मामले में आवश्यक सभी औपचारिकताएं उपभोक्ता द्वारा पूरी कर लिए जाने के पश्चात ही किया जाएगा।
(2)	उपभोक्ता की इच्छा पर विच्छेदन	स्थायी विच्छेदन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करने के 7 दिन के भीतर
(3)	समायोजन के पश्चात जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना [उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु]	स्थायी विच्छेदन के 30 दिन के भीतर

•उविनिआ (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनों को जारी करना तथा संबन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 6.3, विनियम 6.2(1) और विनियम 6.2(4) में विनिर्दिष्ट समय सीमा।

8. उपभोक्ता/आवेदक पर प्रभारीय अन्य सेवाएँ

क्रम सं	शिकायत का स्वभाव	विनिर्दिष्ट समय सीमा
(1)	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तकों का स्थान परिवर्तन	• 90 दिन के भीतर – एलटी प्रणाली हेतु • 180 दिन के भीतर – एचटी प्रणाली हेतु **नोट:-** वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आंकलित आवश्यक राशि जमा करने या सुसंगत प्राधिकारी से एनओसी, यदि कोई है, प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से विनिर्दिष्ट समय सीमा प्रारम्भ होगी। यदि कार्य निष्पादन के दौरान आरओडब्ल्यू के मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो आरओडब्ल्यू के कारण हुए विलंब में छूट प्रदान की जाएगी।

अनुसूची-I (कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानक)

(1) **फ्यूज-ऑफ होने की सामान्य शिकायतें:** अनुज्ञप्तिधारी, अनुसूची-1 के क्रम सं 2.1) पर 'ऊर्जा आपूर्ति की बहाली' के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधारी गई फ्यूज ऑफ की शिकायतों को कुल प्राप्त शिकायतों का न्यूनतम 99% तक बनाए रखेगा।

(2) **लाईन ब्रेकडाउन्स:** अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची-I क्रम स. 2 3) पर 'विद्युत आपूर्ति की बहाली' के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऊर्जा आपूर्ति की बहाली सुनिश्चित करेगा। अनुज्ञप्तिधारी कुल मामलों के न्यूनतम 95% तक में निष्पादन के इस मानक को पूरा करेगा।

(3) **वितरण प्रवर्तक का विफल होना:** अनुज्ञप्तिधारी अनुसूची-I क्रम स 2 4) पर 'विद्युत आपूर्ति की बहाली' के अधीन निर्धारित समय सीमा के भीतर बदले गए वितरण प्रवर्तकों का प्रतिशत कुल विफल हुए प्रवर्तकों के न्यूनतम 95% तक बनाए रखेगा।

(4) **अनुसूचित आउटेजेज़:** लोड-शैडिंग से अन्यथा अनुसूचित आउटेजेज के कारण ऊर्जा आपूर्ति में अवरोध को 48 घटे पहले अधिसूचित करना होगा तथा यह एक दिन में 12 घटे से अधिक नहीं होगा और प्रत्येक ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि शाम 6.00 बजे तक आपूर्ति बहाल हो जाए। अनुज्ञप्तिधारी कुल मामलों के न्यूनतम 95% तक में उपरोक्त मानक प्राप्त करेगा।

(5) **विश्वसनीयता सूचकांक:** समय-समय पर संशोधित इंस्टीट्यूट ऑफ इलैक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनिअर्स (आईईईई) 1998 के मानक 1366 द्वारा निम्न लिखित विश्वसनीयता/आउटेज सूचकांक निर्धारित किए गए हैं। अनुज्ञप्तिधारी नीचे लिखे फॉर्मूलाज के अनुसार इन सूचकांक का मूल्य अभिकलित कर आयोग को रिपोर्ट करेगा

(क) **प्रणाली औसत अवरोध फ्रीक्वेंसी सूचकांक (एसएआईएफ़आई):** अनुज्ञप्तिधारी, मूल्य की गणना नीचे दिये गए फॉर्मूला और कार्यविधि के अनुसार करेगा।

(ख) **प्रणाली औसत अवरोध अवधि सूचकांक (एसएआईडीआई):** अनुज्ञप्तिधारी, मूल्य की गणना नीचे दिये गए फॉर्मूला और कार्यविधि के अनुसार करेगा।

(ग) **क्षणिक औसत अवरोध फ्रीक्वेंसी सूचकांक:** अनुज्ञप्तिधारी, मूल्य की गणना नीचे दिये गए फॉर्मूला और कार्यविधि के अनुसार करेगा।

(6) **वितरण प्रणाली विश्वसनीयता सूचकांक अभिकलित करने का तरीका:** सूचकांक की गणना मुख्य रूप से कृषि भारों हेतु सेवारत फीडर्स को छोड़कर, आपूर्ति क्षेत्र में सभी 11केवी/33केवी फीडर्स को प्रत्येक माह के लिए एक साथ मिला कर,एक रूप में डिसकौम के लिए की जाएगी और तब प्रत्येक फीडर के लिए उस माह में सभी अवरोधों की संख्या व अवधि का योग किया जाएगा। तब निम्नलिखित फॉर्मूला का उपयोग कर सूचकांक की गणना की जाएगी·

क) एसएआईएफ़आई =

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} Ai * Ni}{N_t}$$

A_i = माह हेतु i^{th} फीडर पर सतत अवरोध (प्रत्येक 5 मिनिट से अधिक)

N_i = प्रत्येक अवरोध के कारण प्रभावित i^{th} फीडर का संयोजित भार

N_t – वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में 11केवी पर कुल सयोजित भार

n – आपूर्ति के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में 11केवी फीडर्स की सख्या (मुख्य रूप से कृषि भारों हेतु सेवारत को छोड़ कर)

ख) एसएआईडीआई =

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} Bi * Ni}{N_t}$$

B_i = माह हेतु i^{th} फीडर पर सभी सतत अवरोधों की कुल अवधि

N_i = प्रत्येक अवरोध के कारण प्रभावित i^{th} फीडर का संयोजित भार

N_t = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में 11केवी पर कुल संयोजित भार

n = आपूर्ति के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में 11केवी फीडर्स की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भारों हेतु सेवारत को छोड़ कर)

ग) एमएआईएफ़आई =

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} Ci * Ni}{N_t}$$

C = माह हेतु i^{th} फीडर पर क्षणिक अवरोधों की कुल संख्या (प्रत्येक 5 मिनट के बराबर या उससे कम)

N = प्रत्येक अवरोध के कारण प्रभावित i^{th} फीडर का संयोजित भार

Nt = वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में 11केवी पर कुल सयोजित भार

N = आपूर्ति के अनुज्ञप्तिप्राप्त क्षेत्र में 11केवी फीडर्स की संख्या (मुख्य रूप से कृषि भारों हेतु सेवारत को छोड़ कर)

नोट: फीडर्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अलग-अलग हों और सूचकांकों का मूल्य प्रत्येक माह हेतु पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाए।

अनुज्ञप्तिधारी, अपना एआरआर जमा करते समय निर्धारित प्रारूप एसओपी –10 में वार्षिक रूप से इन सूचकांकों का लक्ष्य स्तर प्रस्तावित करेगा। आयोग तदनुसार इन सूचकांकों को अधिसूचित करेगा।

(7) **वोल्टेज असंतुलन:** अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर वोल्टेज असतुलन 3% से अधिक न हो। वोल्टेज असतुलन को निम्नलिखित तरीके से अभिकलित किया किया जाएगा:

वोल्टेज असतुलन = $(V_n-V_{avg})/V_{avg}$

जिसमें, V_h उच्चतम फेज वोल्टेज और V_{avg} तीन फेजेज़ की औसत फेज वोल्टेज है।

(8) **बिलिंग की गलतियाँ:** अनुज्ञप्तिधारी, शिकायत प्राप्त होने पर सुधार हेतु अपेक्षित बिलों का प्रतिशत कुल जारी किए गए बिलों के 1% से अधिक नहीं होने देगा।

(9) **त्रुटिपूर्ण मीटर्स:** अनुज्ञप्तिधारी त्रुटिपूर्ण मीटर्स [त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रहे (एडीएफ), दोषपूर्ण रीडिंग (आरडीएफ), व त्रुटिपूर्ण चिन्हित (आईडीएफ)] को सेवा में कुल मीटरों की संख्या के, मैदानी क्षेत्र में 2% और पर्वतीय क्षेत्र में 3% से अधिक नहीं होने देगा।

(10) **पहुँच से बाहर (एनए)/ पढ़ा नहीं (एनआर):** अनुज्ञप्तिधारी, एनए/एनआर मामलों से संबन्धित अस्थायी बिलों का प्रतिशत कुल जारी किए गए बिलों के 2% से अधिक नहीं होने देगा

(11) **विद्युतीय दुर्घटनाओं को न्यूनतम रखना:** एक समयावधि में तुलनात्मक विद्युतीय दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि या कमी भी अनुज्ञप्तिधारी के कार्य निष्पादन का संकेतक होगा।

(12) **कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानकों का संक्षेप निम्नानुसार है:**

सेवा क्षेत्र	कार्य निष्पादन के सम्पूर्ण मानक
फ्यूज-ऑफ की सामान्य शिकायतें	न्यूनतम 99% शिकायतों में निर्धारित समय के भीतर सुधार कर दिया जाए
लाईन ब्रेकडाउन्स	न्यूनतम 95% मामले समय सीमा के भीतर सुधारे जाएँ
वितरण प्रवर्तक का विफल होना	न्यूनतम 95% डीटीआर को निर्धारित समय सीमा के भीतर बदल दिया जाए
अनुसूचित आउटेज की अवधि	
एकल आयाम की अधिकतम अवधि एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए	न्यूनतम 95% मामले समय सीमा के भीतर सुलझाए जाएँ
शाम 6.00 बजे तक आपूर्ति की बहाली	
विश्वसनीयता सूचकांक	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने एआरआर के साथ निर्धारित प्रारूप एसओपी-10 में प्रस्तावित लक्ष्यों के आधार पर आयोग द्वारा नियत किया जाएगा
एसएआईएफआई एसएआईडीआई एमएआईएफआई	
फ्रीक्वेंसी परिवर्तन	आपूर्ति की फ्रीक्वेन्सी आईजीसी के अनुसार रेंज के भीतर बनाए रखना
वोल्टेज असंतुलन	आपूर्ति के प्रारम्भ के बिन्दु पर अधिकतम 3%

बिलिंग की त्रुटियों का प्रतिशत	1% से अधिक न हो
दोषपूर्ण मीटर्स का प्रतिशत	मैदानी क्षेत्र के लिए 2% और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 3% से अधिक न हो
एनए/एनआर मामलों का प्रतिशत	2% से अधिक न हो

अनुसूची - III (कार्य निष्पादन के गारंटीशुदा मानक और व्यतिक्रम के मामले में प्रभावित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति)

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र	मानक	मानक के उल्लंघन के मामले में देय प्रतिपूर्ति (व्यतिक्रम, उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के समय से गिना जाएगा)	
			यदि घटना से एकल उपभोक्ता प्रभावित हो तो वैयक्तिक उपभोक्ता को देय प्रतिपूर्ति	यदि घटना से एक से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हों तो वैयक्तिक उपभोक्ता को देय प्रतिपूर्ति
1. नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी				
(1)	नए एलटी संयोजनों का संयोजन	एलटी संयोजनों के लिए • 15 दिन के भीतर - जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स बिछाने या नए सब-स्टेशन की आवश्यकता नहीं है जहां वितरण मेन्स के विस्तार या नए वितरण मेन्स का बिछाने या नए सब-स्टेशन की आवश्यकता है:- • 60 दिन के भीतर - वितरण मेन्स का विस्तार अपेक्षित है। • 90 दिन के भीतर - नए 11/0.4 केवी सब-स्टेशन को चालू करना अपेक्षित है • 180 दिन के भीतर - नए 33/11 केवी सब स्टेशन को चालू करना अपेक्षित है	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम रु. 500 के अधीन जमा राशि के प्रति रु.1000 पर रु.5 [प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक सीमित रहेगी]	लागू नहीं

(2)		नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए - 1) जहां आवेदन किए गए परिसर को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब-स्टेशन/बे की आवश्यकता न हो • 60 दिन के भीतर – 11केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर न हो।	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम रु 500 [प्रतिपूर्ति की कुल राशि आवेदक द्वारा जमा की गयी राशि तक	लागू नहीं
	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना	• 90 दिन के भीतर – 11केवी कार्य लाईन सहित जिसमें स्वतंत्र फीडर हो। • 180 दिन के भीतर – 33 केवी कार्य लाईन सहित। • 300 दिन के भीतर – 132 केवी एवं इससे अधिक वोल्टेज के कार्य लाईन सहित. 2) जहां आवेदन किए गए परिसर को विद्युत आपूर्ति हेतु नए सब-स्टेशन/बे की आवश्यकता हो वहाँ नए एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए अतिरिक्त समय सीमा होगी • 180 दिन के भीतर – नए 33/11 केवी सब-स्टेशन। • 120 दिन के भीतर – विद्यमान 33/11 केवी सब-स्टेशन का विस्तार। • 45 दिन के भीतर – 33/11 केवी सब-स्टेशन पर बे का विस्तार। • 540 दिन के भीतर –132 केवी और उससे अधिक के सब-स्टेशन • 90 दिन के भीतर – 132 केवी और उससे अधिक के सब-स्टेशन पर बे का विस्तार	सीमित रहेगी]	
		जहां लाईन्स/सब-स्टेशन्स कार्य में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं		

(3)	भार में वृद्धि/कमी	है: • 15 दिन के भीतर – एलटी संयोजनों के लिए। • 30 दिन के भीतर – एचटी/ईएचटी संयोजनों के लिए जहां लाईन्स/सब-स्टेशन्स कार्य में परिवर्तन की आवश्यकता है वहाँ समय-सीमा ऊपर उल्लिखित इस सारिणी की क्रम सं. 1) व 2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी	अधिकतम रु. 50,000 की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु. 50	लागू नहीं
2. ऊर्जा आपूर्ति की बहाली				
(1)	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/एमसीसीबी ट्रिप्ड (यदि फ्यूज या एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी के हैं)	4 घंटे के भीतर - शहरी क्षेत्रों के लिए। 8 घंटे के भीतर - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 12 घंटे के भीतर - ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.10
(2)	सर्विस लाईन टूटना/सर्विस लाईन का खंबे से निकलना	8 घंटे के भीतर - शहरी क्षेत्रों के लिए। 12 घंटे के भीतर - ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 24 घंटे के भीतर - ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु 10
(3)	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष	दोष का निवारण और तत्पश्चात सामान्य ऊर्जा आपूर्ति की बहाली • 12 घंटेके भीतर - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 24 घंटे के भीतर - ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु. 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु 10
(4)	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना	विफल प्रवर्तक को बदलने हेतु • 24 घंटे के भीतर - मैदानी क्षेत्रों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु. 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.10

		• 48 घंटे के भीतर - ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से जुड़े हों • 72 घंटे के भीतर - ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों		
(5)	फ्यूज उड़ने, लाईन टूटने या किसी अन्य दोष के कारण एचटी 11केवी व 33केवी मेन्स विफल होना	दोष का निवारण • 12 घंटे के भीतर - शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए • 36 घंटे के भीतर - (फ्यूज उड़ने के मामलों को छोड़ कर, जहां समय सीमा 24 घंटे होगी) ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मोटर मार्ग से न जुड़े हों।	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु. 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.10
(6)	33/11 केवी सब-स्टेशन में समस्या	मरम्मत और ऊर्जा की बहाली • 24 घंटे के भीतर - मैदानी क्षेत्रों में • 48 घंटे के भीतर - पर्वतीय क्षेत्रों में	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु. 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.10
(7)	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना	10 दिन के भीतर - सुधार कार्य पूर्ण किया जाएगा	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु 1000	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.300
(8)	भूमिगत प्रणाली (अंडर ग्राउंड) में दोष	• 12 घंटे के भीतर - एलटी प्रणाली के लिए • 48 घंटे के भीतर – एचटी प्रणाली के लिए	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु. 20	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.10
3. ऊर्जा आपूर्ति हेतु गुणवत्ता (वोल्टेज का विचलन)				
(1)	स्थानीय समस्या (वोल्टेज विचलन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फ्लिकरिंग या कोई अन्य समस्या	4 घंटे के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे के लिए रु.5	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक घंटे हेतु रु.2
(2)	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन	3 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.50

(3)	वितरण लाईन/प्रवर्तक/कैपेसिटर की मरम्मत	• 15 दिन के भीतर एलटी वितरण लाईन • 90 दिन के भीतर - एचटी वितरण लाईन • 30 दिन के भीतर - वितरण प्रवर्तक • 120 दिन के भीतर - ऊर्जा प्रवर्तक • 30 दिन के भीतर - कैपेसिटर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु. 200	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु 100
(4)	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चीकरण	• 90 दिन के भीतर - एलटी प्रणाली के लिए • 180 दिन के भीतर - एचटी प्रणाली के लिए	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.200	प्रत्येक प्रभावित उपभोक्ता को व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.100
(5)	वोल्टेज में उतार-चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति [यदि निकट पड़ोस में एक से अधिक उपभोक्ता के उपकरण प्रभावित हुए हैं और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 72 घंटे के भीतर क्षतिपूर्ण उपकरण का भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तथा इसके पश्चात मरम्मत* पर हुए व्यय के संबंध में प्रभावित उपभोक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य जमा कर दिया जाता है और इसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापित कर दिया जाता है] *किसी क्षतिग्रस्त उपकरण के बदले नये उपकरण का प्रतिस्थापन/विनिमय किए जाने के मामले में क्षतिपूर्ति, मूल बिल प्रस्तुत करने और उसका	दोषपूर्ण आपूर्ति को तुरंत पृथक करना	प्रति उपकरण अधिकतम रु.1000 की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: पंखा, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मिक्सी, ग्राइंडर, टोस्टर, अन्य पोर्टेबल विद्युतीय उपकरण के लिए। प्रति उपकरण अधिकतम रु.3000 की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच तक का कलर टीवी, सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन, 200 लीटर तक का फ्रिज माइक्रोवेव चिमनी के लिए। प्रति उपकरण अधिकतम रु.5000 की सीमा के अधीन मरम्मत प्रभार: 43 इंच से अधिक का कलर टीवी पूरी तरह ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, डिशवाशर, 200 लीटर से अधिक का फ्रिज	

	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सत्यापन कराये जाने की शर्त पर, इस खंड में उल्लिखित मरम्मत प्रभार की परिधि तक सीमित रहेगी।			
4. मीटर्स से संबन्धित शिकायतें				
(1)	मीटर की परिशुद्धता परीक्षण के लिए दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर - मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.50	लागू नहीं
((2)	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 30 दिन के भीतर - मीटर के परीक्षण के लिए और यदि आवश्यक हो तो उसके पश्चात 15 दिन के भीतर मीटर बदला जाएगा	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	लागू नहीं
(3)	जले हुए मीटर हेतु दर्ज शिकायत	• 06 घंटे के भीतर - जले हुए मीटर को बायपास करते हुए आपूर्ति की बहाली • 03 दिन के भीतर - नया मीटर संस्थापित किया जाएगा	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	लागू नहीं
5. उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन				
(1)	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम का परिवर्तन	आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि के पश्चात दो माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	लागू नहीं
(2)	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अंतरण	आवेदन स्वीकार किए जाने की तिथि के पश्चात दो माह के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	लागू नहीं
(3)	श्रेणी का परिवर्तन	05 दिन के भीतर - परिसर का निरीक्षण 02 माह के भीतर - श्रेणी का परिवर्तन	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए रु.100	लागू नहीं

6. उपभोक्ता के बिल के संबंध में शिकायत				
(1)	प्रथम बिल	संयोजन जारी होने के 02 माह के भीतर	प्रति माह अधिकतम रु.500 की सीमा के साथ, बिल की गयी राशि का 10%	लागू नहीं
(2)	बिलिंग की शिकायतें	[शिकायत की पावती तुरंत - हस्ती प्राप्त शिकायतों के लिए 3 दिन के भीतर - डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों के लिए] शिकायतों का समाधान और उपभोक्ता को सूचना 15 दिन के भीतर - यदि कोई अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित न हो 30 दिन के भीतर - यदि अतिरिक्त जानकारी अपेक्षित हो	बिल की गयी राशि के अधिकतम 10% या रु.500, दोनों में से जो कम हो, की सीमा के साथ व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.20	लागू नहीं
(3)	परिसर खाली करने/कब्जे के परिवर्तन हेतु अंतिम बिल	[परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 07 दिन पहले उपभोक्ता द्वारा विशेष रीडिंग हेतु निवेदन किया जाएगा] अंतिम बिल की डिलिवरी, पिछला बकाया सहित, यदि कोई हो - विशेष रीडिंग की व्यवस्था करने के पश्चात परिसर खाली करने या कब्जे के परिवर्तन से न्यूनतम 03 दिन पहले	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु.20	लागू नहीं
(4)	[उपभोक्ता के निवेदन पर] स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिलिंग	*[स्थायी विच्छेदन के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी कोई बिल जारी नहीं करेगा]* यदि अनुज्ञप्तिधारी स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिल जारी करता है तो वह प्रतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा।	प्रत्येक मामले के लिए रु.500	लागू नहीं
(5)	बिल में दर्शाये जा रहे पिछले बकाया/त्रुटिपूर्ण रूप से जारी किए गए बिल	अनुज्ञप्तिधारी ऐसी राशि हेतु बकाया जारी नहीं करेगा जिसका उपभोक्ता द्वारा देय तिथि के भीतर भुगतान कर दिया गया है या जो अनुज्ञप्तिधारी को देय नहीं है।	पहली बार के लिए - अधिकतम रु.500 की सीमा के अधीन बकाया राशि का 10%	लागू नहीं

			[पहली बार के लिए प्रतिपूर्ति की गणना अनुज्ञप्तिधारी के बिलिंग पोर्टल से डाउन लोड किए गए बिल्स पर आधारित होगा। **दूसरी बार के लिए** – अधिकतम रु.1000 की सीमा के अधीन बकाया राशि का 15%] **तीसरे और इससे आगे के समयों के लिए** – अधिकतम रु.2000 की सीमा के अधीन बकाया राशि का 20%	
7. आपूर्ति के विच्छेदन/पुन:संयोजन से संबन्धित मामले				
(1)	पुन: संयोजन हेतु निवेदन	पिछले देयों और पुन:संयोजन प्रभारों के भुगतान के 5 दिन के भीतर – [यदि उपभोक्ता विच्छेदन के पश्चात छ: माह की अवधि के भीतर या स्थायी विच्छेदन दोनों में से जो बाद में हो, से पूर्व पुन: संयोजन हेतु निवेदन करता है] तथापि, यदि उपभोक्ता विच्छेदन के पश्चात छ: माह की अवधि के पश्चात या स्थायी विच्छेदन के पश्चात पुन: संयोजन, हेतु निवेदन करता है, तो संयोजनों का पुन: संयोजन तभी किया जाएगा जब उपभोक्ता उस श्रेणी हेतु लागू विलंबित देय, लाईन प्रभार, सिक्यूरिटी जमा, इत्यादि के भुगतान सहित नए संयोजन जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेगा]	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु 100	लागू नहीं
(2)	उपभोक्ता की इच्छा पर विच्छेदन	स्थायी विच्छेदन हेतु निर्धारित प्ररूप में आवेदन जमा कराने के 7 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु.100	लागू नहीं

(3)	समायोजन के पश्चात जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना [उपभोक्ता के निवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु]	स्थायी विच्छेदन के 30 दिन के भीतर	व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन हेतु रु 100	लागू नहीं
B. उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारित अन्य सेवाएँ				
(1)	साईन्स/पोल्स/प्रवर्तक का स्थान परिवर्तन	90 दिन के भीतर - एसटी प्रणाली हेतु 180 दिन के भीतर - एचटी प्रणाली हेतु *नोट:- विनिर्दिष्ट समय सीमा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आकलित आवश्यक राशि जमा करने या सुसंगत प्राधिकारी से एनओसी, यदि कोई हैं, प्राप्त करने की तिथि, दोनों में से जो बाद में हो, से प्रारम्भ होगी। यदि कार्य निष्पादन के दौरान आरओडब्लू के मुद्दे उत्पन्न होते हैं तो आरओडब्लू के कारण हुए विलंब पर छूट प्रदान की जाएगी।*	एसटी प्रणाली हेतु - उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का अधिकतम 20% की शर्त के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु 100 एचटी प्रणाली हेतु - उपभोक्ता/आवेदक द्वारा जमा की गई राशि का अधिकतम 20% की सीमा के अधीन व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस हेतु रु.200	लागू नहीं

नोट: क्रम सं. 1.1, क्रम सं 1.2, क्रम सं. 1.3, क्रम सं. 4.1, क्रम सं. 6.3, क्रम सं. 7.1 व क्रम सं. 7.2 पर उल्लिखित सेवाओं के सम्मुख मानकों के उल्लंघन के मामले में देय प्रतिपूर्ति का अभिकलन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत दर्ज कराये जाने की शर्त के अधीन, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यतिक्रम की तिथि से किया जाएगा। परंतु शिकायत निपटान प्रक्रिया के अनुमोदन के पश्चात आयोग, एक पृथक आदेश द्वारा उपरोक्त क्रम संख्याओं में उल्लिखित सेवाओं की समीक्षा कर सकता है।

प्रारूप एसओपी -1

उपभोक्ता/आवेदक की शिकायतों के अभिलेखन हेतु प्रारूप

शिकायत पंजीकरण केंद्र: _____ *(केंद्रीकृत ग्राहक सेवा केंद्र /स्थानीय शिकायत केंद्र/हेल्प डेस्क)*

शिकायत पंजीकरण केंद्र का नाम: _____

मण्डल/खंड/उप-खंड का नाम: _____

क्रम स.	शिकायत प्राप्त करने का समय और तिथि	शिकायत प्राप्त करने का माध्यम	शिकायतकर्ता का नाम, पता और मोबाइल न.	अकाउंट सं.	सयोजन सं.	शिकायत का स्वभाव	शिकायत पंजीकरण संख्या	संदर्भ गारंटीशुदा मानक	शिकायत निवारण का समय और तिथि	शिकायत निवारण हेतु लगा कुल समय (माह/दिवस/घंटों में)	विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शिकायत का निवारण (हाँ/नहीं)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
4.												

प्रारूप एसओपी-2

प्रतिपूर्ति के दावे हेतु प्रारूप

उपभोक्ता के लिए प्रतिपूर्ति दावा प्रारूप

1. उपभोक्ता का नाम:
2. अकाउट स. :
3. संयोजन सं..
4. मोबाइल नंबर
5. शिकायत का स्वभाव:
6 अनुज्ञप्तिधारी/फ्रेंचाईजी के पास शिकायत के पंजीकरण का समय और तिथि
7. अनुज्ञप्तिधारी/फ्रेंचाईजी द्वारा सूचित विशिष्ट शिकायत संख्या:
8 शिकायत निवारण का समय और तिथि:
9 अनुसूची-1 के अनुसार निर्धारित मानदंड के अनुसार विलंब:
10.: उपभोक्ता द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति की राशि:

दिनांक: ————————

उपभोक्ता के हस्ताक्षर और नाम*

*अनुसूची III की क्रम सं. 1.1) (नए एलटी संयोजन जारी करना), क्रम स. 1.2 (नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना) व क्रम स. 8.1 (लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तक का स्थान परिवर्तन) पर उल्लिखित सेवा के मामले में आवेदक।

पावती

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भर कर उपभोक्ता/आवेदक को दिया जाए)

_____ (उपभोक्ता/आवेदक का नाम) से _____ (प्राप्ति का दिनांक) को प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्राप्त किया। दावे के आवेदन हेतु पजीकरण सख्या है _____

स्टांप

वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

प्रारूप एसओपी-3

अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों पर डिवीजन वाईज मासिक रिपोर्ट्स हेतु प्रारूप

खंड (डिवीजन) का नाम : ———————— ———————— माह/वर्ष हेतु रिपोर्ट

क्रम सं.	एसओपी मापदंड	पिछले माह से अग्रानीत शिकायतें	रिपोर्टिंग माह के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें *(3+4)*	समय पर निवारण की गई शिकायतें *(5 में से)*	समय पर निवारण की गई शिकायतों का % (6/5*100)	समय के बाद निवारण की गई शिकायतों की संख्या *(5 में से)*	कुल निवारण की गई शिकायतें *(6+8)*	लंबित शिकायतें (5-9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी									
1	नए एलटी संयोजन जारी करना								
2	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना								
3	भार में वृद्धि/कमी								
ऊर्जा आपूर्ति की बहाली									
4	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/एमसीसीबी ट्रिप्ड (यदि एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी का है)								
5	सर्विस लाइन का								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	टूटना/सर्विस लाईन का खबे से हटना								
6	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष								
7	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना								
8	फ्यूज उड़ना, लाईन टूटना या किसी अन्य दोष के कारण एचटी(11केवी एवं 33 केवी) मेन्स विफल होना								
9	33/11 केवी उप-स्टेशन में समस्या								
10	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना								
11	भूतल (अंडर ग्राउड) प्रणाली में दोष								
ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता (वोल्टेज परिवर्तन हेतु)									
12	स्थानीय समस्या (वोल्टेज परिवर्तन/वोल्टेज में उतार-चढ़ाव,फ्लिकरिंग या कोई अन्य स्थानीय समस्या								
13	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन								
14	वितरण लाइन/ प्रवर्तक/ कैपेसिटर की मरम्मत								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	एचटी/एलटी प्रणाली का उच्चीकरण								
16	वोल्टेज में उतार/चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति*								
मीटर्स के संबंध में शिकायतें									
17	मीटर्स की परिशुद्धता परीक्षण हेतु दर्ज शिकायत								
18	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत								
19	जले हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत								
उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन									
20	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन								
21	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अंतरण								
22	श्रेणी का परिवर्तन								
उपभोक्ता के बिलों के संबंध में शिकायत									
23	प्रथम बिल								
24	बिलिंग की शिकायतें								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	परिसर खाली करने/कब्जे में परिवर्तन हेतु अंतिम बिल								
26	[उपभोक्ता के निवेदन पर] स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिलिंग								
27	बिलों मे पिछले बकाया दर्शाना/गलत जारी किए गए बिल								
आपूर्ति के विच्छेदन/पुन: सयोजन से जुड़े मुद्दे									
28	पुन: सयोजन हेतु निवेदन								
29	उपभोक्ता की इच्छा पर विच्छेदन								
30	समायोजन के पश्चात जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना [उपभोक्ता के आवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु]								
उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारीय अन्य सेवाएँ									
31	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तकों का स्थान परिवर्तन								
योग									

प्रारूप एसओपी-4

डिसकॉम के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों पर समेकित वार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप

वित्त वर्ष ———— हेतु रिपोर्ट

क्रम सं.	एसओपी मापदंड	पिछले वित्त वर्ष से अग्रानीत शिकायतें	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के दौरान प्राप्त	कुल शिकायतें *(3+4)*	समय पर निवारण की गई शिकायतें *(5 में से)*	समय पर निवारण की गई शिकायतों का % *(6/5*100)*	समय के बाद निवारण की गई शिकायतों की संख्या *(5 में से)*	कुल निवारण की गई शिकायतें *(6+8)*	लंबित शिकायतें *(5-9)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी									
1	नए एलटी सयोजन जारी करना								
2	नए एचटी/ईएचटी सयोजन जारी करना								
3	भार में वृद्धि/कमी								
ऊर्जा आपूर्ति की बहाली									
4	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/एमसीसीबी ट्रिप्ड (यदि एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी का है)								
5	सर्विस लाइन का टूटना/सर्विस लाईन का खबे से हटना								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	एलटी वितरण लाईन/प्रणाली में दोष								
7	वितरण प्रवर्तक विफल होना/जलना								
8	फ्यूज उड़ना/लाईन टूटना या किसी अन्य दोष के कारण एचटी(11केवी एवं 33 केवी) सेन्स विफल होना								
9	33/11 केवी उप-स्टेशन में समस्या								
10	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना								
11	भूतल (अंडर ग्राउंड) प्रणाली में दोष								
ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता (वोल्टेज परिवर्तन हेतु)									
12	स्थानीय समस्या (वोल्टेज परिवर्तन/वोल्टेज में उतार चढ़ाव,फ्लिकरिंग या कोई अन्य स्थानीय समस्या								
13	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन								
14	वितरण लाइन/ प्रवर्तक/ कैपेसिटर की मरम्मत								
15	एचटी/एलटी प्रणाली का उच्चीकरण								
16	वोल्टेज में उतार/चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति•								
मीटर्स के संबंध में शिकायतें									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	मीटर्स की परिशुद्धता परीक्षण हेतु दर्ज शिकायत								
18	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत								
19	जले हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत								
उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन									
20	संपत्ति के लिए स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन								
21	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अंतरण								
22	श्रेणी का परिवर्तन								
उपभोक्ता के बिलों के संबंध में शिकायत									
23	प्रथम बिल								
24	बिलिंग की शिकायतें								
25	परिसर खाली करने/कब्जे में परिवर्तन हेतु अंतिम बिल								
26	[उपभोक्ता के निवेदन पर] स्थायी विच्छेदन के पश्चात बिलिंग								
27	बिलों में पिछले बकाया दर्शाना/गलत जारी किए गए बिल								
आपूर्ति के विच्छेदन/पुनः संयोजन से जुड़े मुद्दे									

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	पुन संयोजन हेतु निवेदन								
29	विच्छेदन के इच्छुक उपभोक्ता								
30	समायोजन के पश्चात जमा की गयी सिक्योरिटी लौटाना [उपभोक्ता के आवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु]								
उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारीय अन्य सेवाऐं									
31	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तकों का स्थान परिवर्तन								
योग									

प्रारूप एसओपी-5

अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानकों पर मण्डल वाईज तिमाही रिपोर्टस हेतु प्रारूप

मण्डल (सर्कल) का नाम ——————

वित्त वर्ष ———— की तिमाही (I/II/III/IV) ——— के लिए रिपोर्ट

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र	कार्य निष्पादन के विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानक	तिमाही के आरंभ पर लंबित शिकायतें	रिपोर्टिंग तिमाही में उपभोक्ता द्वारा दर्ज शिकायतें	कुल शिकायतें (4+5)	अनुसूची-I में निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण की गई शिकायतें	रिपोर्टिंग तिमाही के अंत में लंबित शिकायतें (6-7)	रिपोर्टिंग तिमाही में पूरी की गई न्यूनतम सम्पूर्ण एसओपी	अनुसूची-II के अनुसार न्यूनतम सम्पूर्ण एसओपी लक्ष्य	क्या सम्पूर्ण एसओपी प्राप्त की गई (हाँ/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	सामान्य फ्यूज-ऑफ काल्स	न्यूनतम 99% काल्स पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार कर दिया जाए								
2.	लाईन ब्रेक डाउन्स	न्यूनतम 95% मामले								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार लिए जाएँ								
3	वितरण प्रवर्तक विफल होना	न्यूनतम 95% डीटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर बदल दिये जाएँ								
4.	अनुसूचित आउटेज की अवधि i. एकल आयाम में अवधि एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी ii. आपूर्ति की बहाली शाम 6.00 बजे तक कर दी जाएगी	न्यूनतम 95% मामले समय सीमा के भीतर सुलझा लिए जाएँ								
5.	एसएआईएफआई	समय-समय पर आयोग								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		द्वारा तय किए गए के अनुसार								
6	एसएआईजीआई	समय-समय पर आयोग द्वारा तय किए गए के अनुसार								
7.	एमएआईएफआई	समय-समय पर आयोग द्वारा तय किए गए के अनुसार								
8.	फ्रीक्वेंसी परिवर्तन	आपूर्ति फ्रीक्वेंसी को आईईजीसी सीमा के भीतर बनाए रखना								
9	वोल्टेज असंतुलन	आपूर्ति के आरंभ के बिन्दु पर अधिकतम 3%								
10.	बिलिंग की गलतियों का प्रतिशत	1% से अधिक नहीं								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	मैदानी क्षेत्रों के लिए - 2% से अधिक नहीं और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए - 3% से अधिक नहीं								
12	एनए/एनआर मामलों का प्रतिशत	2% से अधिक नहीं								

प्रारूप एसओपी-6

अनुसूची II में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानकों पर मण्डल वाईज समेकित वार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप

मण्डल का नाम ——————

वित्त वर्ष —————— के लिए रिपोर्ट

क्रम सं.	सेवा क्षेत्र	कार्य निष्पादन के विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण मानक	पिछले वित्त वर्ष से अग्रानीत शिकायतें	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में उपभोक्ता द्वारा दर्ज शिकायतें	कुल शिकायतें (4+5)	अनुसूची-I में निर्धारित समय सीमा के भीतर निवारण की गई शिकायतें	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें (6-7)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में पूरी की गई न्यूनतम सम्पूर्ण एसओपी	अनुसूची-II के अनुसार न्यूनतम सम्पूर्ण एसओपी लक्ष्य	क्या सम्पूर्ण एसओपी प्राप्त की गईं (हाँ/नहीं)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	सामान्य फ्यूज-ऑफ काल्स	न्यूनतम 99% काल्स पर निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार कर दिया जाए								
2.	लाईन ब्रेक डाउन्स	न्यूनतम 95% मामले								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		निर्धारित समय सीमा के भीतर सुधार लिए जाएँ								
3	वितरण प्रवर्तक विफल होना	न्यूनतम 95% डीटीआर निर्धारित समय सीमा के भीतर बदल दिये जाएँ								
4.	अनुसूचित आउटेज की अवधि i. एकल आयाम में अवधि एक दिन में 12 घंटे से अधिक नहीं होगी ii. आपूर्ति की बहाली शाम 6.00 बजे तक कर दी जाएगी	न्यूनतम 95% मामले समय सीमा के भीतर सुलझा लिए जाएँ								
5.	एसएआईएफआई	समय-समय पर आयोग								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		द्वारा तय किए गए के अनुसार								
6	एसएआईडीआई	समय-समय पर आयोग द्वारा तय किए गए के अनुसार								
7	एमएआईएफआई	समय-समय पर आयोग द्वारा तय किए गए अनुसार								
8	फ्रीक्वेंसी परिवर्तन	आपूर्ति फ्रीक्वेंसी को आईईजीसी सीमा के भीतर बनाए रखना								
9	वोल्टेज असंतुलन	आपूर्ति के आरंभ के बिन्दु पर अधिकतम 3%								
10.	बिलिंग की गलतियों का प्रतिशत	1% से अधिक नहीं								

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	दोषपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	मैदानी क्षेत्रों के लिए - 2% से अधिक नहीं और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 3% से अधिक नहीं								
12	एनए/एनआर मामलों का प्रतिशत	2% से अधिक नहीं								

प्रारूप एसजीपी-7

अनुसूची I में विनिर्दिष्ट गारंटीशुदा मानकों के अनुसार भुगतान की गई प्रतिपूर्ति का खण्ड (डिवीजन)-वाइज विवरण

वित्त वर्ष———— की तिमाही (I/II/III/IV) —— हेतु रिपोर्ट

क्रम सं.	खण्ड (डिवीजन) की संख्या	उपभोक्ता/आवेदक द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति		उपभोक्ता/आवेदक को भुगतान की गई प्रतिपूर्ति	
		संख्या	राशि (रु. में)	संख्या	राशि (रु. में)
1.					
2					
3					
4.					
5					
6					
योग					

प्रारूप एसओपी-8

उपभोक्ता/आवेदक द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति पर अर्धवार्षिक रिपोर्ट हेतु प्रारूप

वित्त वर्ष ———के अर्ध वार्षिक (प्रथम/द्वितीय) ——— हेतु रिपोर्टिंग

क्रम सं.	खण्ड (डिवीजन) का नाम	उपभोक्ताओं/आवेदकों द्वारा दावा की गई प्रतिपूर्ति		उपभोक्ताओं/आवेदकों को भुगतान की गई प्रतिपूर्ति						उपभोक्ताओं/आवेदकों को भुगतान न की गई प्रतिपूर्ति		
		संख्या	राशि (रु. में)	समयानुसार भुगतान		भुगतान में विलंब		योग		संख्या (3-9)	राशि (रु. में) (4-10)	कार्यवाही, जिसमें प्रतिपूर्ति प्रदान न करने के कारण सम्मिलित हैं
				संख्या	राशि (रु.में)	संख्या	राशि (रु.में)	संख्या (5+7)	राशि (रु. में) (6+8)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
योग												

<u>प्रारूप एसओपी-9</u>

<u>गारंटीशुदा एसओपी के सुधार हेतु किए गए उपाय (अनुसूची-I) और कार्य निष्पादन में सुधार हेतु लक्ष्य के लिए प्रारूप</u>

क्रम सं.	एसओपी मापदंड का विवरण	वित्त वर्ष के दौरान व्यतिक्रम की कुल संख्या	कार्य निष्पादन के सुधार हेतु उपाय		आगामी वित्त वर्ष में कार्य निष्पादन में सुधार हेतु उपाय
			वित्त वर्ष के दौरान लिए गए	आगामी वित्त वर्ष हेतु प्रस्तावित	
नए संयोजन जारी करना और भार में वृद्धि/कमी					
1	नए एलटी संयोजन जारी करना				
2	नए एचटी/ईएचटी संयोजन जारी करना				
3.	भार में वृद्धि/कमी				
ऊर्जा आपूर्ति की बहाली					
4.	फ्यूज उड़ना या एमसीबी/एमसीसीबी ट्रिप्ड (यदि एमसीबी/एमसीसीबी अनुज्ञप्तिधारी की है)				
5.	सर्विस लाइन का टूटना/सर्विस लाइन का खंबे से निकलना				
6.	एलटी वितरण लाइन/प्रणाली में दोष				
7.	वितरण प्रवर्तक का विफल होना/जलना				
8.	फ्यूज उड़ना/लाईन				

	ट्टना या किसी अन्य दोष के कारण एचटी(11केवी एवं 33 केवी) मेन्स विफल होना			
9	33/11 केवी उप-स्टेशन में समस्या			
10	ऊर्जा प्रवर्तक का विफल होना			
11	भूतल (अडर ग्राउड) प्रणाली में दोष			
ऊर्जा आपूर्ति की गुणवत्ता (वोल्टेज परिवर्तन हेतु)				
12.	स्थानीय समस्या (वोल्टेज परिवर्तन, वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, फ्लिकरिंग या कोई अन्य स्थानीय समस्या			
13	प्रवर्तक का टैप परिवर्तन			
14.	वितरण लाईन/प्रवर्तक/कैपेसिटर की मरम्मत			
15	एचटी/एलटी प्रणाली का संस्थापन और उच्चीकरण			
16.	वोल्टेज में उतार चढ़ाव के कारण उपभोक्ता के उपकरण को क्षति			
मीटरों के संबंध में शिकायत				
17	मीटर्स की परिशुद्धता			

	परीक्षण हेतु दर्ज शिकायत			
18	त्रुटिपूर्ण/अटके हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत			
19	जले हुए मीटर के लिए दर्ज शिकायत			
उपभोक्ता के संयोजन का अंतरण और सेवाओं का परिवर्तन				
20	संपत्ति पर स्वामित्व/कब्जे में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता के नाम में परिवर्तन			
21	उपभोक्ता के नाम का कानूनी वारिस को अंतरण			
22	श्रेणी का परिवर्तन			
उपभोक्ता के बिलों के संबंध में शिकायत				
23	प्रथम बिल			
24	बिलिंग की शिकायतें			
25	परिसर खाली करने/कब्जे में परिवर्तन हेतु अंतिम बिल			
26	[उपभोक्ता के निवेदन पर] स्थायी विच्छेदन			

	के पश्चात बिलिंग			
27	बिलों में पिछले बकाया दर्शाना/गलत जारी किए गए बिल			
आपूर्ति के विच्छेदन/पुनःसंयोजन से जुड़े मुद्दे				
28	पुनः संयोजन हेतु निवेदन			
29	उपभोक्ता की इच्छा पर विच्छेदन			
30	समायोजन के पश्चात जमा की गयी सिक्योरिटी को लौटाना [उपभोक्ता के आवेदन पर स्थायी विच्छेदन हेतु]			
उपभोक्ता/आवेदक को प्रभारीय अन्य सेवाएँ				
31	लाईन्स/पोल्स/प्रवर्तकों का स्थान परिवर्तन			

प्रारूप एसओपी-10

एआरआर के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले विश्वसनीयता सूचकांक (आरआई) के वार्षिक लक्ष्य स्तरों के लिए प्रारूप

वित्त वर्ष---------- हेतु रिपोर्ट

विवरण	शहरी फीडर			ग्रामीण फीडर		
विश्वसनीयता सूचकांक (आरआई)	एसएआईएफ़आई (सं. में)	एसएआईडीआई (मिन. में)	एमएआईएफ़आई सं. में)	एसएआईएफ़आई (सं. में)	एसएआईडीआई (मिन. में)	एमएआईएफ़आई सं. में)
आगामी वित्त वर्ष हेतु वार्षिक लक्ष्य						

आयोग के आदेश से,
नीरज सती,
सचिव,
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 हिन्दी गजट/80–भाग 1–क–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 मार्च, 2023 ई0 (फाल्गुन 13, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे शैक्षिक प्रमाणपत्रो में मेरा नाम निर्जरा दर्ज है, जबकि मुझे सब निर्जरा ध्यानी के नाम से पुकारते हैं। दोनो नाम मेरे ही है। भविष्य में मुझे निर्जरा ध्यानी के नाम से जाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

निर्जरा ध्यानी पुत्री गोविन्द कुमार
निवासी D–30 ओम विहार, रूडकी।

सूचना

In my service record my name mistakely recorded as Devinder Prasad whereas correct name is Devendra Prasad Jugran as mentioned in other documents, Service No. JC-210402P Rank Sub Maj/H Capt, Devendra Prasad Jugran R/o Alaknanda Enclave, Lane No. J. Nehru Gram, Jogiwala Dehradun Uttarakhand, vide Affidavit dated 02-01-2023.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Devendra Prasad Jugran
S/o Satya Prasad Jugran
R/o Alaknanda Enclave, Lane No.
J. Nehru Gram, Jogiwala
Dehradun Uttarakhand

सूचना

मैं नं0 जे.सी. 530589M सूबेदार सुन्दर सिंह रिटायर मैने निजी कारणों से अपना नाम सुन्दर सिंह से बदलकर सुन्दर सिंह रौतेला कर लिया है भविष्य में मुझे सुन्दर सिंह रौतेला पुत्र नारायण सिंह रौतेला के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

सुन्दर सिंह रौतेला पुत्र नारायण सिंह रौतेला
निवासी म0नं0 129, सारथी विहार अजबपुर डांडा,
पो0ओ0 नेहरूग्राम, देहरादून, उत्तराखण्ड।

सूचना

In my service records my name mistakenly recorded as Kharak Singh Bohara where as my correct name is Kharak Singh Bohra as mentioned in other all documents. Service No.4173118X Rank Hav.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Kharak Singh Bohra residing at
Village Simlash Grant, Doiwala,
Nagal Jwalapur, Dehradun,
Uttarakhand

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 09 हिन्दी गजट/80 –भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।